

इल्मे दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है (हदीस)



रमज़ानुल मुबारक फ़ज़ाइल और मसाइल



Presented By-

AL-IHYA

(Revival of Islamic Education)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

अल्लाह तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और रहम फ़रमाने वाला है। सभी तारीफ़ें सारे जहानों के पालने वाले के लिए ही हैं और दुरूद व सलाम हो उसके रसूल और हमारे आक़ा व मौला हजरत मुहम्मद ﷺ पर और आपकी आल व असहाब पर।

लाख-लाख शुक्र है उस परवरदिगार का जिसने हमें यह तौफ़ीक बख्ती कि दीन-ए-इस्लाम की कुछ बुनियादी बातें और मसाइल आप तक पहुँचाएं। लिहाज़ा हमने इल्म-ए-दीन की एक हिन्दी वेबसाइट www.IslamiJankari.com के नाम से शुरू की है। साथ ही हम यह ज़रूरी इल्म-ए-दीन छोटी-छोटी किताबों की शक्ल में भी आप तक पहुँचा रहे हैं। इसी सिलसिले में यह किताब “रमजानुल मुबारक फ़ज्जाइल और मसाइल” पेश है। इस किताब को मुफ्ती शहज़ाद हुसैन साहब (दारुल इफ़ता हिज्बुल अहनाफ़) ने बहुत ही ध्यान से पढ़कर मसाइल में ज़रूरी इस्लाह फ़रमा दी है। हम उनकी इस नवाज़िश के लिये तहे दिल से शुक्र गुज़ार हैं।

इस्लामी भाइयों बहनों से गुज़ारिश है कि इसे पढ़ें और अपने घर वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों को भी पढ़वाकर दुनिया व आखिरत की भलाई हासिल करें। आपसे हमारी यह गुज़ारिश है कि इसमें अगर कोई गलती दिखाई दे तो हमें ज़रूर इत्तला करें ताकि अगले edition में सही की जा सके।

जो हजरात सवाब और तबलीग-ए-दीन की नीयत से इसे तकसीम करना चाहते हैं वह हमसे यह किताबें मुनासिब कीमत देकर हासिल कर सकते हैं और इल्म-ए-दीन को घर-घर पहुँचाने के अल-इहया के मिशन में शामिल होकर तोशा-ए-आखिरत के हक्कदार बन सकते हैं।

अल्लाह तआला से दुआ है कि वह हमें ज़रूरी इल्म-ए-दीन हासिल करके उसके अहकाम और हजरत मुहम्मद ﷺ और आपकी आल व असहाब की सुन्नतों के मुताबिक अपनी ज़िन्दगी सँवारने की तौफ़ीक अता फ़रमाये, आमीन!

- शोबा-ए-इशाअत अल-इहया

Index

S.No.	Topic	Page
1.	रोज़ा	3
2.	रोजे का हुक्म और उसकी फ़जीलत	4
4.	रोजे के बारे में ज़रूरी जानकारी	8
5.	रमजान का चाँद	11
6.	वह चीज़ें जिनसे रोज़ा नहीं टूटता	14
7.	रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ें	16
8.	रोजे की क़ज़ा	18
9.	रोज़ा तोड़ने का कफ़्फारा	19
10.	रोजे के मकरुहात	21
11.	सहरी और इफ्तार	23
12.	रोज़ा छोड़ने की इजाज़त	25
13.	नफ़ल रोजे और उनके फ़ज्जाइल	29
14.	एतिकाफ़	32
15.	रोजे की हक्कीकत	36
16.	नमाज़-ए-तरावीह	39
17.	सदका-ए- फ़ित्र	44
18.	रोजे के फ़ायदे	55
19.	शब-ए-क़द्र	59

रोज़ा

दीन-ए-इस्लाम के पाँच सुतूनों (Pillars) में से रोज़ा एक सुतून है। रोज़े का मतलब है ख्वाहिशात से अपने आप को रोकना। रोज़े की बहुत बड़ी शान यह है कि अल्लाह तआला ने इसे अपनी तरफ़ निसबत करते हुए फ़रमाया कि-

“रोज़ा मेरे लिये है और मैं ही इसकी ज़ज़ा यानि बदला दूँगा”

रोज़े के तीन दर्जे हैं-

1. एक आम लोगों का रोज़ा- पेट और शर्मगाह को खाने पीने जिमा (हमबिस्तरी) से रोकना। यह रोज़े का सबसे निचला दर्जा है।
2. दूसरा खास लोगों का रोज़ा- पेट और शर्मगाह को रोकने के साथ-साथ कान, आँख, ज़ुबान, हाथ, पाँव और जिस्म के सारे आज़ा (organs) को गुनाह से बचाना। यह रोज़े का दरमियानी दर्जा है।
3. तीसरा खासुलखास का रोज़ा- अल्लाह तआला के अलावा सब चीज़ों से अपने आपको पूरी तरह अलग करके सिर्फ़ उसी की तरफ़ ध्यान लगाना। यह रोज़े का सबसे ऊँचा दर्जा है।

हर मुसलमान को चाहिये कि रोज़ा रखने में कम से कम दरमियानी दर्जा हासिल करे।

हर बालिग और समझदार मुसलमान पर रमजान के महीने के रोजे फ़र्ज़ किये गए हैं। लिहाजा हमें चाहिये कि रोज़े के बारे में ज़रूरी जानकारी हासिल करें और इसके मसाइल को जानें ताकि इस फ़र्ज़ इबादत को सही तरह अदा कर सकें।

रोजे का हुक्म और उसकी फ़ज़ीलत

अल्लाह तआला कुरआन पाक में रोजे का हुक्म फ़रमाता है:-

يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا

كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

(ऐ ईमान वालो! तुम पर रोजा फ़र्ज किया गया जैसा

उन पर फ़र्ज हुआ था जो तुम से पहले हुए ताकि तुम गुनाहों से बचो)

(सूह अलबक्रा, आयत-183)

रोजे की फ़ज़ीलत

कुरआन और अहादीस में रमजान की बहुत सी फ़ज़ीलतें बयान की गई हैं, यहाँ तक कि अगर लोगों को रमजान की हक्कीकत मालूम हो जाये तो तमन्ना करें कि सारा साल रमजान ही रहे। यहाँ आपकी जानकारी के लिये रमजान की फ़ज़ीलत के बारे में चन्द अहादीस पेश की जा रही हैं।

हुजूर अक़दस ﷺ ने फ़रमाया:-

- रमजान आया यह बरकत का महीना है अल्लाह तआला ने इसके रोजे तुम पर फ़र्ज किये इस में आसमान के दरवाजे खोल दिये जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बन्द कर दिये जाते हैं और सरकश शैतानों के तौक्र डाल दिये जाते हैं और इसमें एक रात ऐसी है जो हजार महीनों से बेहतर है जो उसकी भलाई से महरूम रहा बेशक महरूम है। (इमाम अहमद व निसाई की रिवायत उन्हीं से)
- रमजान की आखिर शब में उम्मत की मग़फिरत होती है। अर्ज की गई क्या वह शबे क्रद है फ़रमाया नहीं लेकिन काम करने वाले को उस वक्त मज़दूरी पूरी दी जाती है जब वह काम पूरा कर ले। (इमाम अहमद अबू हुैरा رضي الله عنه سے रिवायत)
- जन्नत में आठ दरवाजे हैं उनमें एक दरवाजे का नाम “रय्यान” है उस दरवाजे से रोजेदार दाखिल होंगे। (सहीहैन, सुनन-ए-तिर्मिंजी व निसाई)
- हर चीज़ के लिये ज़कात है और बदन की ज़कात रोजा है और रोजा आधा सब्र है। (इब्ने माजा, अबू हुैरा رضي الله عنه سے रिवायत)

रसूलुल्लाह ﷺ ने शाबान के आखिर दिन में वाज़ फ़रमाया-

- ऐ लोगो! तुम्हारे पास अज्ञमत वाला बरकत वाला महीना आया वह महीना जिसमें एक रात हजार महीनों से बेहतर है।
- उसके रोज़े अल्लाह तआला ने फ़र्ज किये और उसकी रात में क्रियाम (इबादत) सुन्नत।
- जो इसमें नेकी का कोई काम करे तो ऐसा है जैसे और किसी महीने में फ़र्ज अदा किया और इसमें जिसने फ़र्ज अदा किया तो ऐसा है जैसे और दिनों में सत्तर फ़र्ज अदा किए।
- यह महीना सब्र का है और सब्र का सवाब जन्नत है और यह महीना हमदर्दी और भलाई का है।
- इस महीने में मोमिन का रिझ़क बढ़ाया जाता है।
- जो इसमें रोजादार को इफ्तार कराये उसके गुनाहों के लिए मग़ाफ़िरत है और उसकी गर्दन आग से आज़ाद कर दी जायेगी और इस इफ्तार कराने वाले को वैसा ही सवाब मिलेगा जैसा रोज़ा रखने वालों को मिलेगा बग़ैर इसके कि उसके अज्ञ में से कुछ कम हो।
- अल्लाह तआला यह (रोज़ा इफ्तार कराने का) सवाब उस शख्स को देगा जो एक घूँट दूध या एक खुरमा (खजूर या छुआरा) या एक घूँट पानी से इफ्तार कराए या जिसने रोजादार को भरपेट खाना खिलाया उसको अल्लाह तआला मेरी हौज़ से पिलायेगा कि कभी प्यासा न होगा यहाँ तक कि जन्नत में दाखिल हो जाए।
- यह वह महीना है कि इसका अव्वल (शुरू के दस दिन) रहमत है और इसका औसत (दरमियान के दस दिन) मग़ाफ़िरत है और इसका आखिर जहन्नम से आज़ादी है।
- जो अपने गुलाम पर इस महीने में तख़फ़ीफ़ करे यानि काम में कमी करे अल्लाह तआला उसे बख्श देगा और उसे जहन्नम से आज़ाद फ़रमायेगा।

(बेहकी शोअबुल इमान में सलमान फ़ारसी ﷺ से रिवायत)

रसूलुल्लाह ﷺ ने रोज़े की फ़जीलत बयान करते हुए फ़रमाया

- आदमी के हर नेक काम का बदला दस से सात सौ गुना तक दिया जाता है। अल्लाह तआला ने फ़रमाया मगर रोज़ा, “कि वह मेरे लिए है और उसकी जज़ा मैं दूंगा, बन्दा अपनी ख्वाहिश और खाने को मेरी वजह से तर्क करता” (यानि छोड़ता) है।
- रोजादार के लिए दो खुशियाँ हैं एक इफ्तार के वक्त और एक अपने रब से मिलने के वक्त।
- रोजादार के मुँह की बू अल्लाह तआला के नज़दीक मुश्क से ज्यादा पाकीज़ा है।
- रोज़ा सिपर (दाल) है।
- जब किसी के रोज़े का दिन हो तो न बेहूदा बके और न चीखे फिर अगर उससे कोई गाली-गलौच करे या लड़ने पर आमादा हो तो कह दे मैं रोजादार हूँ।

(सहीैन में अबू हुैरा ؓ से मरवी)

तीन लोगों की दुआ रद्द नहीं की जाती-

1. रोजादार जिस वक्त इफ्तार करता है।
2. बादशाहे आदिल (यानि इंसाफ़ करने वाले बादशाह) की।
3. मजलूम की दुआ इसको अल्लाह तआला अब्र से ऊपर बलन्द करता है और इसके लिए आसमान के दरवाजे खोले जाते हैं और रब तआला फ़रमाता है अपनी इज़ज़त व जलाल की क़सम ज़रूर तेरी मदद करूँगा अगर्चे थोड़े ज़माने बाद।

(इमाम अहमद व तिर्मिज़ी व इन्हे माजा व इन्हे खुजैमा व इन्हे हिब्बान, अबू हुैरा ؓ से रिवायत)

हुजूर अक़दस ﷺ ने फ़रमाया मेरी उम्मत को माहे रमज़ान में पाँच चीजें दी गई कि जो मुझसे पहले किसी नबी को नहीं मिलीं-

1. अब्बल यह कि जब रमज़ान की पहली रात होती है अल्लाह तआला उनकी तरफ़ नज़र-ए- रहमत फ़रमाता है और जिसकी तरफ़ नज़र-ए- रहमत फ़रमायेगा उसे कभी अज्ञाब न करेगा।।
2. दूसरी यह कि शाम के वक्त उनके मुँह की बू अल्लाह तआला के नज़दीक मुश्क से ज्यादा अच्छी है।

3. तीसरी यह कि हर दिन और रात में फ़रिश्ते उनके लिए इस्तिग़ाफ़ार करते हैं।
4. चौथी यह कि अल्लाह तआला जन्नत को हुक्म फ़रमाता है कहता है तैयार हो जा और मेरे बन्दों के लिए सज जा करीब है कि दुनिया की सख्ती से यहाँ आकर आराम करें।
5. पाँचवी यह कि जब आखिर रात होती है तो उन सब की मग़फिरत फ़रमा देता है। किसी ने अर्ज की क्या वह शबे क्रद्र है। फ़रमाया नहीं क्या तू नहीं देखता कि काम करने वाले काम करते हैं जब काम से फ़ारिग होते हैं उस वक्त मज़दूरी पाते हैं।

(बेहक्ति जाविर इब्ने अब्दुल्लाह رض से रिवायत)

हुजूर अक़दस صلی اللہ علیہ وسَّلَّمَ ने फ़रमाया अगर बन्दों को मालूम होता कि रमज़ान क्या चीज़ है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि पूरा साल रमज़ान ही हो।

(इन्हे खुजैमा ने अबू मसूद गिफ़ारी رض से एक तबील हदीस रिवायत)

रोज़े के बारे में ज़रूरी जानकारी

रोज़ा क्या है?

शरीयत के मुताबिक़ रोज़े का मतलब यह है कि मुसलमान इबादत की नीयत से सुबह सादिक़ यानि फ़ज्ज़ का वक्त शुरू होने से लेकर सूरज ढूबने यानि मग़रिब का वक्त शुरू होने तक जानबूझ कर खाने पीने और हमबिस्तरी से बचा रहे। औरत के लिये यह शर्त भी है कि वह हैज़ (माहवारी) और निफ़ास (बच्चे पैदा होने के बाद आने वाला ख़ून) से पाक हो।

रोज़े की क्रिस्में

- **फ़र्ज़:-** मुसलमानों पर रमज़ान के महीने के रोज़े फ़र्ज़ हैं।
- **वाजिबः-** रमज़ान के रोज़े जो छूट जायें चाहे किसी मजबूरी की वजह से हों या जानबूझ कर उनको रमज़ान के बाद रखना वाजिब है। मजबूरी में और जानबूझ कर छोड़े गये रोज़ों की क़ज़ा के लिये अलग-अलग अहकाम और शर्तें हैं जो इंशाल्लाह आगे बयान होंगे।
- **नफ़ल:-** रमज़ान के क़ज़ा रोज़ों के अलावा जो रोज़े रखे जाते हैं वह नफ़ल रोज़े कहलाते हैं जैसे दस मुहर्रम, पंद्रह शाबान के और उनके साथ मिलाये गये रोज़े, ईद के बाद शब्वाल के महीने में शाशईद के रोज़े (यानि ईद के छ़ रोज़े) और इसके अलावा पीर व जुमेरात व़ग़ैरा के रोज़े नफ़ल रोज़े हैं।
- **मकरूहः-** कुछ ख़ास दिनों में और ख़ास तरह के रोज़े रखना मकरूह हैं जैसे सिर्फ़ हफ़्ते के दिन रोज़ा रखना, नैरोज, मेहरगान (पारसियों के त्योहार) के दिन का रोज़ा, हमेशा रोज़ा रखना, कुछ बात न करने का रोज़ा या ऐसा रोज़ा रखना जिसमे इफ़तार न करे और दूसरे दिन फिर रोज़ा रखे यह सब मकरूहे तनज़ीही हैं यानि इन दिनों में रोज़ा रखना मना है। ईद और अद्यामे तशरीक (बकरीद और उसके बाद के तीन दिन) के रोज़े मकरूहे तहरीमी हैं यानि हराम हैं।

रोज़े की नीयत

रोज़े की नीयत (रोज़ा रखने से पहले) सूरज डूबने यानि मग़रिब का वक्त शुरू होने से (रोज़ा रखने के बाद) ज्वाल का वक्त शुरू होने से पहले तक कर सकते हैं। इस वक्त में जब भी नीयत कर लें रोज़ा हो जायेगा।

- नीयत दिल के इरादे का नाम है ज़ुबान से कहना शर्त नहीं मगर ज़ुबान से कह लेना मुस्तहब है।

अगर रात में नीयत करे तो यह कहें -

نَوَيْتُ أَنْ أَصُومَ غَدًا يَلِهِ تَعْلِي مِنْ فَرْضِ رَمَضَانَ هَذَا

(मैंने नीयत की कि अल्लाह तआला के लिए इस रमजान का फ़र्ज़ रोज़ा कल रखूँगा।)

दिन में नीयत करे तो यह कहे -

نَوَيْتُ أَنْ أَصُومَ هَذَا الْيَوْمَ يَلِهِ تَعْلِي مِنْ فَرْضِ رَمَضَانَ

(मैंने नीयत की कि अल्लाह के लिए आज रमजान का फ़र्ज़ रोज़ा रखूँगा।)

ज़रूरी मसाइल-

- कोई औरत हैज़ या निफ़ास वाली थी उसने रात में कल रोज़ा रखने की नीयत की और सुबह सादिक़ से पहले हैज़ व निफ़ास से पाक हो गई तो रोज़ा सही हो गया।
- दिन में नीयत करने का फ़ायदा जब ही है कि उसने सुबह सादिक़ से नीयत करते वक्त तक रोज़े के खिलाफ़ कोई काम नहीं किया हो। लिहाज़ा अगर सुबह सादिक़ के बाद कुछ खा पी लिया हो या जिमा (हमबिस्तरी) कर लिया तो अब नीयत नहीं हो सकती। मगर भूलने की हालत में ज्यादातर ओलमा यही मानते हैं कि नीयत सही है।
- रोज़े में सिर्फ़ रोज़ा तोड़ने की नीयत से रोज़ा नहीं टूटेगा जब तक रोज़ा तोड़ने वाला काम न करे।

- सहरी खाना भी नीयत है चाहे रमजान के रोज़े के लिए हो या किसी और रोज़े के लिए मगर जब सहरी खाते बक्त यह इरादा है कि सुबह को रोज़ा न होगा तो सहरी खाना नीयत नहीं।
- रमजान के हर रोज़े के लिए नई नीयत की ज़रूरत है पहली या किसी तारीख में पूरे रमजान के रोज़े की नीयत कर ली तो यह नीयत सिर्फ उसी एक दिन के लिये हुई जिस दिन की गई, बाकी दिनों के लिए नहीं।
- क़ज़ा और वाजिब रोज़ों की नीयत सहरी का बक्त ख़त्म होने से पहले करना ज़रूरी है। यह भी ज़रूरी है कि जो रोज़ा रखना है ख़ास उस रोज़े की नीयत करे। इन रोज़ों की नीयत अगर दिन में की तो नफ़ल हुए फिर भी उनका पूरा करना ज़रूरी है तोड़ेगा तो क़ज़ा वाजिब होगी।
- यह ख्याल करके कि किसी रोज़े की क़ज़ा उसके जिम्मे है रोज़ा रखा बाद में मालूम हुआ कि ख्याल ग़लत था तो अगर फ़ौरन तोड़ दे तो तोड़ सकता है हालांकि बेहतर यह है कि पूरा कर ले और अगर फ़ौरन न तोड़ा तो थोड़ी देर बाद नहीं तोड़ सकता, तोड़ेगा तो क़ज़ा वाजिब है।
- रात में क़ज़ा रोज़े की नीयत की लेकिन सुबह को उसे नफ़ल करना चाहे तो नहीं कर सकता।
- नमाज़ पढ़ते में रोज़े की नीयत (सिर्फ दिल में) की तो यह नीयत सही है।
- रमजान का रोज़ा जानबूझ कर तोड़ने पर उस रोज़े की क़ज़ा है और साठ (60) रोज़े कफ़्फ़ारे के यानि कुल इक्सठ(61) रोज़े लगातार रखने होंगे।
- किसी ने इक्सठ(61) रोज़े रख लिए लेकिन क़ज़ा रोज़े का दिन तय नहीं किया तब भी हो गया।

रमजान का चाँद

रमजान का चाँद देखने की अहमियत

मुसलमान होने के नाते हमारी यह जिम्मेदारी है कि खास तौर पर रमजान का चाँद देखने की कोशिश करें क्योंकि यह चाँद उस फ़र्ज की अदायगी का पैगाम देता है जिसके लिये अल्लाह तआला ने यह फ़रमाया है कि “रोजा मेरे लिये है और मैं ही उसकी जजा दूँगा” हालांकि तमाम इबादतें अल्लाह तआला के लिये ही हैं और वह ही उसका अन्न देता है मगर खास तौर पर रोजे के लिये यह फ़रमाना उसकी अहमियत ज़ाहिर करता है। लिहाज़ा हमें भी इसकी अहमियत को समझते हुए इसकी शुरूआत चाँद देखने से करनी चाहिये। आजकल लोगों ने यह बहुत ग़लत तरीक़ा इखिल्यार कर लिया है कि खुद चाँद देखने की कोशिश नहीं करते और इधर-उधर से खबरें लेने में लगे रहते हैं यह ग़लत है।

चाँद देखने के बारे में कुछ अहादीस

रसूलुल्लाह ﷺ का फ़रमान है कि-

- रोजा न रखो जब तक चाँद न देख लो और इफ्तार न करो जब तक चाँद न देख लो और अगर अब्र (बादल) हो तो (तीस की) गिनती पूरी कर लो।
(सही बुखारी व सही मुस्लिम में इन्हे उमरؓ से मरवी)
- एक आराबी (देहाती) ने हुजूर ﷺ की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज की मैंने रमजान का चाँद देखा है। फ़रमाया कि तू गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अर्ज की हाँ। फ़रमाया कि तू गवाही देता है कि मुहम्मद ﷺ अल्लाह के रसूल हैं। उसने कहा हाँ। इशाद फ़रमाया, ऐ बिलाल! लोगों में ऐलान कर दो कि कल रोजा रखें।

(अबू दाऊद व तिर्मिजी व निसाई व इन्हे माजा व दारमी, इन्हे अब्बास ؓ से रिवायत)

चाँद देखने के बारे में ज़रूरी मसाइल

- पाँच महीनों का चाँद देखना वाजिबे किफ़ाया है:- शाबान, रमजान, शब्वाल, ज़ीक्रादाह, ज़िलहिज्जाह।
- शाबान का इसलिए कि अगर रमजान का चाँद देखते वक्त अब्र या गुबार हो तो तीस(30) पूरे कर के रमजान शुरू करें और रमजान का रोजा रखने के

- लिए और शब्बाल का रोज़ा खत्म करने के लिए और झीकादाह का ज़िलहिज्जाह के लिए और ज़िलहिज्जाह का बकरईद के लिए।
- शाबान की उन्तीस(29) को चाँद देखें दिखाई दे तो अगले दिन रोज़ा रखें वरना शाबान के तीस(30) दिन पूरे करके रमजान का महीना शुरू करें।
 - किसी ने रमजान या ईद का चाँद देखा मगर उसकी गवाही किसी शारई वजह से रद्द कर दी गई तो उसे हुक्म है कि रोज़ा रखे चाहे अपने आप ईद का चाँद देख लिया है और उस रोज़े को तोड़ना जाइज़ नहीं मगर तोड़ेगा तो कफ़कारा लाज़िम नहीं और इस सूत्र में अगर रमजान का चाँद था और उसने अपने हिसाब की वजह से तीस(30) रोज़े पूरे किये मगर ईद के चाँद के वक्त फिर अब्र या गुबार है तो उसे भी एक दिन और रखने का हुक्म है।
 - कोई शश्वस इल्म-ए-हैअत (Astronomy) जानता हो वह अपने इल्म की बिना पर चाँद के बारे में यह बताये कि आज चाँद हुआ या नहीं हुआ तो उसका कोई ऐतबार नहीं चाहे वह कितना ही आदिल हो।
 - शरीयत में सिर्फ़ चाँद देखने या गवाही से ही सुबूत का ऐतबार है।
 - बादल और गुबार में रमजान के चाँद का सुबूत एक मुसलमान, समझदार, बालिग, ज़ाहिर में शरीयत पर चलने वाला और आदिल शश्वस से हो जाता है वह मर्द हो या औरत, आज्ञाद हो या बांदी, गुलाम हो या ऐसा शश्वस जिसने हद लगने के बाद तौबा कर ली हो।
 - आदिल होने के मतलब यह है कि कम से कम मुत्की हो यानि कबीरा (बड़े) गुनाह से बचता हो और स़ारीरा (छोटे) गुनाह से भी बचता हो और ऐसा काम न करता हो जो अखलाक के खिलाफ़ हो जैसे बाज़ार में खाना।
 - फ़ासिक अगर्चे रमजान के चाँद की शहादत दे उसकी गवाही क़ाबिले क़बूल नहीं। अगर उसे उम्मीद है कि उसकी गवाही क़ाज़ी क़बूल कर लेगा तो उसे लाज़िम है कि गवाही दे।
 - मस्तूर यानि जिसका ज़ाहिर हाल शरीयत के मुताबिक़ है मगर बातिन का हाल मालूम नहीं उसकी गवाही भी रमजान के अलावा क़ाबिले क़बूल नहीं।
 - जिस आदिल शश्वस ने रमजान का चाँद देखा उस पर वाजिब है कि उसी रात में शहादत अदा कर दे यहाँ तक कि अगर बांदी या पर्दानशीन औरत ने चाँद

देखा तो उस पर गवाही देने के लिए उसी रात में जाना वाजिब है, बांदी को इसके लिये अपने मालिक से इजाजत लेने की भी ज़रूरत नहीं।

- आज्ञाद औरत को भी गवाही के लिए जाना वाजिब है, इसके लिए शौहर की इजाजत ज़रूरी नहीं, मगर यह हुक्म उस वक्त है जब उसकी गवाही के बिना काम न चले वरना ज़रूरत नहीं।
- तार या टेलीफ़ोन से चाँद का हो जाना नहीं साबित हो सकता, न बाजारी अफ़वाह और जन्तरियों से और अखबारों में छपा होना कोई सुबूत नहीं है। चाँद देखकर उसकी तरफ़ उंगली से इशारा करना मकरूह है अगर्चे दूसरे को बताने के लिए हो।

वह चीज़ें जिनसे रोज़ा नहीं टूटता

यहाँ अब हम उन चीजों का ज़िक्र कर रहे हैं जिनसे रोज़ा नहीं टूटता इस सिलसिले में पहले कुछ अहादीस पेश की जा रही हैं जो इस तरह हैं।

रसूलुल्लाह ﷺ फरमाते हैं-

- रोजादार ने भूलकर खाया या पिया वह अपने रोजे को पूरा करे कि उसे अल्लाह ने खिलाया और पिलाया। (सही बुखारी मुस्लिम में अबू हूैरा ؓ से मरवी)
- जिस पर क्रै ने ग़लबा किया उस पर क़ज़ा नहीं और जिसने क़सदन क्रै की उस पर रोज़ा क़ज़ा है। (अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व इब्ने माज़ा व दारमी अबू हूैरा ؓ से मरवी)
- तीन चीज़ें रोज़ा नहीं तोड़तीं पछना (खून निकलवाना), क्रै और एहतिलाम। (तिर्मिज़ी अबू सर्झद ؓ से रिवायत)

ज़रूरी मसाइल

यहाँ पर सिर्फ़ उन चीजों का बयान है जिन से रोज़ा नहीं टूटता लेकिन यह नहीं बताया गया कि उनसे रोज़ा मकरूह भी होता है या नहीं या यह कि वह काम जाइज़ है या नाजाइज़।

- भूलकर खाने, पीने या जिमा (सोहबत) करने से रोज़ा नहीं टूटता चाहे वह रोज़ा फ़र्ज़ हो या नफ़ल।
- याद दिलाने पर भी अगर याद नहीं आया कि रोजादार है और रोज़ा तोड़ने वाला कोई काम किया तो अब रोज़ा टूट जायेगा मगर इस सूरत में कफ़कारा लाज़िम नहीं।
- किसी रोजादार को कुछ खाते- पीते देखें तो याद दिलाना वाजिब है याद न दिलाया तो गुनाहगार होगा। लेकिन अगर वह रोजादार बहुत कमज़ोर हो और यह सोचकर कि खा लेगा तो रोज़ा भी अच्छी तरह पूरा कर लेगा और दूसरी इबादतें भी अच्छी तरह अदा कर लेगा, इस सूरत में याद न दिलाना बेहतर है।
- मक्खी, धूल, धुआँ या गुबार हलक में खुद से चला जाये तो रोज़ा नहीं टूटता।
- जानबूझ कर धूल या धुआँ वगैरा मुँह या नाक से अंदर की तरफ खीचने से रोज़ा टूट जाता है, यहाँ तक कि अगरबत्ती वगैरा के धुएँ को नाक से खीचने

पर रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह बीड़ी, सिग्रेट और हुक्का पीने से भी रोज़ा टूट जाता है और इन्हें पीने वाले पर कफ़्फ़ारा भी लाजिम आयेगा।

- बोसा लेने से रोज़ा नहीं टूटता अगर इन्ज़ाल (मनी का निकलना) न हो।
- नहाते में या कुल्ली करते में कुछ तरी मुँह में बाकी रह गई जो थूक के साथ निगल ली तो उससे रोज़ा नहीं टूटता।
- कान में पानी चला गया या तिनके से कान खुजाया और उस पर कान का मैल लग गया फिर वही मैल लगा हुआ तिनका कान में डाला और कई बार ऐसा किया तो रोज़ा नहीं टूटा।
- दाँत या मुँह में बिल्कुल थोड़ी सी कोई चीज़ रह गई और थूक के साथ हलक में उतर गई, या दाँतों से खून निकलकर हलक तक पहुँचा मगर हलक से नीचे न उतरा तो इन सूरतों में रोज़ा नहीं टूटता।
- भूले से जिमा कर रहा था याद आते ही अलग हो गया या सुबह सादिक से पहले जिमा में मशगूल था सुबह होते ही अलग हो गया और अगर इन दोनों सूरतों में अलग होने के बाद इन्ज़ाल हो गया हो तब भी रोज़ा नहीं टूटता।
- भूले से खाना खा रहा था याद आते ही फ़ौरन निवाला निकाल दिया या सुबह सादिक से पहले खा रहा था और सुबह सादिक होते ही उगल दिया रोज़ा नहीं टूटा लेकिन अगर निगल लिया तो दोनों सूरतों में रोज़ा टूट जायेगा।
- एहतिलाम (Night Fall) होने से रोज़ा नहीं टूटता।
- ग़ीबत हालांकि बहुत सख्त कबीरा गुनाह है। कुरआन मजीद में ग़ीबत करने वाले के बारे में फ़रमाया गया है जैसे अपने मुर्दा भाई का गोशत खाना और हदीस में ग़ीबत को ज़िना से भी सख्ततर बताया है और ग़ीबत की वजह से रोज़े की नूरानियत जाती रहती है। लेकिन ग़ीबत करने से रोज़ा नहीं टूटता।
- तेल या सुर्मा लगाने से रोज़ा नहीं टूटता चाहे तेल या सुर्मे का मज़ा हलक में महसूस होता हो बल्कि थूक में सुर्मे का रंग भी दिखाई देता हो जब भी नहीं।
- तिल या तिल के बराबर कोई चीज़ चबाई और थूक के साथ हलक से उतर गई तो रोज़ा नहीं टूटा, लेकिन अगर उसका मज़ा हलक में महसूस होता हो तो रोज़ा टूट गया।

रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों

रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों के बारे में नबी-ए-करीम ﷺ की चन्द अहादीस इस तरह हैं-

- जिसने रमजान के एक दिन का रोज़ा बगैर रुखसत (शरई इजाजत) बगैर मर्ज के न रखा तो जमाने भर का रोज़ा उसकी क़ज़ा नहीं हो सकता अर्गर्च रख भी ले यानि वह फ़ज़ीलत जो रमजान में रखने की थी किसी तरह हासिल नहीं कर सकता।

(बुखारी व अहमद व अबू दाऊद व तिर्मिजी व इब्ने माजा व दारमी, अबू हुरैरा ؓ से रिवायत)

- रसूलुल्लाह ﷺ फ़रमाते हैं— मैं सो रहा था दो शाख़स हाज़िर हुए और मेरे बाज़ू पकड़ कर एक पहाड़ के पास ले गये और मुझसे कहा चढ़ियो। मैंने कहा मुझमें इसकी ताक़त नहीं। उन्होंने कहा हम सहल कर देंगे। मैं चढ़ गया जब बीच पहाड़ पर पहुँचा तो सख्त आवाजें सुनाई दीं, मैंने कहा ये कैसी आवाजें हैं। उन्होंने कहा यह जहन्मियों की आवाजें हैं फिर मुझे आगे ले गये। मैंने एक क्रौम को देखा वो लोग उल्टे लटके हुए हैं और उनकी बाछें चीरी जा रही हैं जिससे खून बहता है। मैंने कहा ये कौन लोग हैं कहा ये वो लोग हैं कि वक्त से पहले रोज़ा इफ्तार कर लेते हैं।

(इब्ने खुज़ेमा व इब्ने हब्बान अपनी सही में अबू उमामा बाहली ؓ से रिवायत)

रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों के बारे में ज़रूरी मसाइल

- खाने, पीने और जिमा (सोहबत) करने से रोज़ा टूट जाता है, जबकि रोज़ादार होना याद हो।
- हुक्का, सिगार, सिगरेट, बीड़ी और चरस वगैरा पीने से रोज़ा टूट जाता है चाहे हलक़ तक धुआँ पहुँचे या नहीं।
- पान या खाली तम्बाकू खाने से भी रोज़ा टूट जाता है, चाहे पीक थूक दी हो।
- चीनी वगैरा ऐसी चीजें जो मुँह में रखने से घुल जाती हैं मुँह में रखी और थूक निगल लिया तो रोज़ा टूट गया।
- दाँतों के बीच कोई चीज़ चने के बराबर या ज्यादा थी उसे खा गया या कम ही थी मगर मुँह से निकाल कर फिर खा ली तो रोज़ा टूट गया।

- दाँतों से खून निकल कर हलक़ से नीचे उतरा और खून थूक से ज्यादा या बराबर था या कम था मगर उसका मज़ा हलक़ में महसूस हुआ तो इन सब सूरतों में रोज़ा टूट गया और अगर कम था और मज़ा भी महसूस नहीं हुआ तो नहीं।
- नाक के नथनों में दवा डालने से, कान में तेल डालने, खुद चले जाने से या हुक्ना (enema) लेने से रोज़ा टूट जाता है, लेकिन पानी कान में चले जाने या डालने से रोज़ा नहीं टूटता।
- कुल्ली करते में बिना इरादा पानी हलक़ से उतर गया या नाक में पानी चढ़ाया और दिमाग़ को चढ़ गया तो रोज़ा टूट गया लेकिन अगर रोज़ा होना भूल गया हो तो नहीं टूटेगा चाहे जानबूझ कर हो।
- किसी ने रोज़ादार की तरफ़ कोई चीज़ फेंकी वह उसके हलक़ में चली गई तो रोज़ा टूट जाता है।
- सोते में पानी पी लिया या कुछ खा लिया या मुँह खुला था और पानी की बूँद या ओला हलक़ में चला गया तो रोज़ा टूट जाता है।
- थूक मुँह से बाहर आने के बाद दोबारा निगल लेने से रोज़ा टूट जाता है।
- मुँह में रंगीन डोरा रखने से थूक रंगीन हो गया उसे निगलने से रोज़ा टूट गया।
- आँसू मुँह में चला गया और निगल लिया अगर एक-दो बूँद हैं तो रोज़ा नहीं टूटा लेकिन अगर इतना ज्यादा हो कि उसकी नमकीनी पूरे मुँह में महसूस हुई तो रोज़ा टूट जाता है। पसीने का भी यही हुक्म है।
- औरत का बोसा लिया, छुआ, चूमा या गले लगाया और इन्जाल हो गया तो रोज़ा टूट गया और औरत के छूने से मर्द को इन्जाल हुआ तो रोज़ा नहीं टूटा।
- जानबूझ कर मुँह भर क्रै (उल्टी) करने से रोज़ा टूट जाता है अगर रोज़ादार होना याद हो और उससे कम की या जानबूझकर नहीं की तो रोज़ा नहीं टूटा।
- क्रै का मतलब है कि उल्टी में खाना, सफ़रा (पित्त) या खून आये और अगर बलग़म आया तो रोज़ा नहीं टूटा।

रोज़े की क़ज़ा

अब हम कुछ उन सूरतों का जिक्र कर रहे हैं जिनमें रोज़ा टूट जाने पर सिर्फ़ क़ज़ा लाज़िम होती है। क़ज़ा लाज़िम होने का मतलब है कि उस रोज़े के बदले में सिर्फ़ एक रोज़ा रखना पड़ेगा।

- यह सोचकर कि सहरी का वक्त बाकी है कुछ खा-पी लिया या बीवी से सोहबत कर ली और बाद में मालूम हुआ कि सहरी का वक्त ख़त्म हो गया था तो रमजान के बाद एक रोज़ा क़ज़ा रखें।
- इसी तरह यह सोचकर कि सूरज डूब चुका है रोज़ा इफ़तार कर लिया तब भी एक रोज़ा क़ज़ा रखें।
- खाने-पीने के लिये मजबूर किया गया यानि ज़बरदस्ती या सख्त धमकी देकर खिलाया गया चाहे अपने ही हाथ से खाया हो तो सिर्फ़ क़ज़ा लाज़िम है।
- भूलकर कुछ खाया पिया या भूले में कोई ऐसा काम हो गया जिससे रोज़ा टूट जाता है, इन सब सूरतों में यह सोचकर कि रोज़ा टूट गया है जानबूझ कुछ खा लिया तो सिर्फ़ क़ज़ा लाज़िम है।
- बच्चे की उम्र दस साल की हो जाए और उसमें रोज़ा रखने की ताक़त हो तो उससे रोज़ा रखवाया जाए न रखे तो मार कर रखवायें। अगर बच्चा रोज़ा रखकर तोड़ दे तो क़ज़ा का हुक्म नहीं दिया जायेगा और नमाज़ तोड़े तो फिर पढ़वायें।

रोज़ा तोड़ने का कफ़्फ़ारा

कोई शरूद्वंश जिस पर रोज़ा रखना कर्ज़ हो रमजान का रोज़ा रखने के बाद जानबूझ कर कोई ऐसा काम करे जिससे रोज़ा टूट जाता है तो उस पर क़ज़ा के साथ कफ़्फ़ारा भी लाज़िम होता है।

क़ज़ा के साथ कफ़्फ़ारा कब लाज़िम होता है?

- जिमा (संभोग) करने से, चाहे मनी निकली हो या नहीं।
- औरत को छूने, बोसा लेने, साथ में लिटाने या शर्मगाहों (Private parts) को मिलाने की वजह से इन्ज़ाल होने यानि मनी निकलने पर।
- पानी पीने से।
- मज़े या ताक़त के लिये कुछ खाने-पीने से।
- जिस जगह रोज़ा तोड़ने से कफ़्फ़ारा लाज़िम आता है उसमें शर्त यह है कि रात ही से रमजान के रोज़े की नीयत की हो अगर दिन में नीयत की और तोड़ दिया तो कफ़्फ़ारा लाज़िम नहीं जैसे कोई मुसाफ़िर सुबह सादिक़ (फ़ज़्र) के बाद ज़हवा-ए-कुबरा (ज़वाल) से पहले अपने शहर को वापस आया और रोज़े की नीयत कर ली फिर तोड़ दिया तो कफ़्फ़ारा नहीं।
- कफ़्फ़ारा लाज़िम होने के लिए भर पेट खाना ज़रूरी नहीं थोड़ा सा खाने से भी वाजिब हो जायेगा।
- किसी शरूद्वंश ने तेल लगाया, ग़ीबत की या कोई ऐसा काम किया कि जिससे रोज़ा नहीं टूटता मगर इसने यह गुमान कर लिया कि रोज़ा टूट गया या किसी आलिम ने भी रोज़ा टूटने का फ़तवा दे दिया और उसके बाद अब उसने कुछ खा-पी लिया जब भी कफ़्फ़ारा लाज़िम हो गया।
- थूक कर चाट गया या दूसरे का थूक निगला तो कफ़्फ़ारा नहीं मगर महबूब का लुआब (थूक) लज़्ज़त के लिये या किसी दीनी हस्ती जैसे पीर या आलिम का लुआब तबर्झक के लिए निगला तो कफ़्फ़ारा लाज़िम है।
- जिन सूरतों में रोज़ा तोड़ने पर कफ़्फ़ारा लाज़िम नहीं उनमें यह शर्त है कि एक ही बार ऐसा हुआ हो और गुनाह का झरादा न हो वरना उसमें भी कफ़्फ़ारा है।
- कच्चा गोशत चाहे मुर्दार का हो खाने से कफ़्फ़ारा लाज़िम हो जाता है।

- मिट्टी खाने की आदत की वजह से मिट्टी खाई तो कफ़्फ़ारा वाजिब है।
- नमक अगर थोड़ा खाया तो कफ़्फ़ारा वाजिब है ज्यादा खाया तो नहीं।
- पेड़ के पत्ते या सब्जियाँ जो खाई जाती हैं उनके खाने से कफ़्फ़ारा वाजिब है।
- कच्चे चावल बाजरा, मसूर, मूंग खाई तो कफ़्फ़ारा नहीं यही हुक्म कच्चे जौ का है और भुने हुए हों तो कफ़्फ़ारा लाजिम है।
- तिल या तिल बराबर खाने की कोई चीज़ बाहर से मुँह में डाल कर बगैर चबाये निगल गया तो रोज़ा गया और कफ़्फ़ारा वाजिब।
- सहरी का वक्त खत्म होने पर या भूलकर खाते में याद आने पर पर मुँह का निवाला निगल लिया तो दोनों सूरतों में कफ़्फ़ारा वाजिब है। लेकिन मुँह से निकाल कर फिर खाया हो तो सिर्फ़ क़ज़ा वाजिब होगी कफ़्फ़ारा नहीं।

रोज़ा तोड़ने का कफ़्फ़ारा

1. अगर हो सके तो एक बांदी या गुलाम आजाद करें।

(नोट:- इस्लाम ही वह मजहब है जिसने सबसे पहले गुलाम प्रथा को खत्म करने की शुरूआत की। इस मक्सद को हासिल करने के लिये शरीयत के कानून बनाकर और दुनिया व आखिरत के इनामात बताकर गुलामी की ज़ंजीरों में जकड़े हुए लोगों को आजाद कराने के लिये लोगों को तरगीब दी यानि motivate किया। यहाँ पर क़सदन रोज़ा तोड़ने के जुर्माने के तौर पर गुलाम या बांदी को आजाद करने का हुक्म फ़रमाने में भी यही हिक्मत है।)

या

2. लगातार साठ रोज़े रखें, एक रोज़ा भी छूट गया तो दोबारा से साठ रोज़े रखने होंगे। पहले के रोज़े गिनती में नहीं आयेंगे चाहे बीमारी या किसी मजबूरी की वजह से ही छूटा हो। औरत को हैज़ की वजह से बीच में रोज़े छूट जायें तो पाक होने पर बाकी रोज़े रखकर साठ पूरे करने से कफ़्फ़ारा अदा हो जायेगा।

या

3. साठ मिसकीनों को भर पेट दोनों वक्त खाना खिलायें।

अगर दो रोज़े तोड़े तो दोनों के लिए दो कफ़्फ़ारे दे (जबकि दोनों दो रमजान के हों), अगर दोनों रोज़े एक ही रमजान के हों और पहले का कफ़्फ़ारा अदा न किया हो तो एक ही कफ़्फ़ारा दोनों के लिए काफ़ी है।

रोजे के मकरूहात

रोज़े के मकरूहात वह है जिनसे रोज़े के सवाब में कमी आती है और कुछ में गनाह भी होता है। लिहाज़ा इनसे बचना ज़रूरी है।

रोज़े के मकान-हात बारे में कुछ अहादीस-ए-नबवी ﷺ

- जो बुरी बात कहना और उस पर अमल करना न छोड़े तो अल्लाह तआला को इसकी कुछ हाजत नहीं कि उसने खाना-पीना छोड़ दिया है।
(बुखारी व अबू दाऊद व तिम्रिजी व निसाई व इब्ने माजा, अबू हुरएरा رض से रिवायत)
 - रोज़ा सिपर (ढाल) है जब तक उसे फाड़ा न हो। अर्ज की गई किस चीज़ से फाड़ेगा। इरशाद फरमाया झूठ या ग़ीबत से।
(बैहकी अबू उबैदा और तबरानी , अबू हुरएरा رض से रिवायत)
 - रोज़ा इसका नाम नहीं कि खाने और पीने से बाज़ रहना, रोज़ा तो यह है कि बेहदा बातों से बचा रहे।

रोजे के मकरूहात बारे में कछु मसाईल

- झूठ, चुगली, गीबत, गाली देना, बेहूदा बात, किसी को तकलीफ़ देना कि यह चीज़ें वैसे भी नजाइज़ व हराम हैं, रोज़े में और ज्यादा हराम और इन की वजह से रोज़े में कराहत आती है।
 - रोज़ादार को बिना उत्तर (शारई वजह) किसी चीज़ का चखना या चबाना मकरूह है।
 - चखने के लिए उत्तर यह है कि जैसे किसी औरत का शौहर या बांदी या गुलाम का आका बदमिजाज है कि नमक कम या ज्यादा होगा तो आका बहुत नाराज़ होगा तो इस वजह से चखने में हर्ज़ नहीं।
 - चबाने के लिए यह उत्तर है कि इतना छोटा बच्चा है कि रोटी नहीं खा सकता और कोई नर्म सिज़ा नहीं जो उसे खिलाई जाये और न कोई बे-रोज़ादार ऐसा है जो उसे चबा कर दे दे तो बच्चे के खिलाने के लिए रोटी वगैरा चबाना मकरूह नहीं।

- चखने का वह मतलब नहीं जो आजकल आमतौर पर देखने में आता है कि किसी चीज़ का मज़ा मालूम करने के लिये उसमें से थोड़ा खा लिया। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिये क्योंकि ऐसा करने से तो रोज़ा ही टूट जाता है और कफ़्फ़ारा भी लाज़िम हो सकता है। चखने का मतलब यह है कि ज़बान पर रखकर मज़ा मालूम करके उसे थूक दे उसमें से हलक में कुछ न जाने पाये और थूकने के बाद भी अगर मुँह में उसका मज़ा महसूस हो तो कुल्ली कर लेना चाहिये।
- औरत का बोसा लेना, गले लगाना और बदन छूना या और कोई ऐसा काम करना जिससे शहवत (Sexual Desire) बढ़े मकरूह है।
- ज़ीनत (सिंगार) के लिए सुर्मा लगाना या इसलिए तेल लगाया कि दाढ़ी बढ़ जाये जबकि एक मुट्ठी दाढ़ी है तो ये दोनों बातें मकरूह हैं।
- रोज़े में कुल्ली करने और नाक में पानी चढ़ाने में ज्यादती करना मकरूह है कुल्ली में ज्यादती करने का यह मतलब है कि मुँह भर के पानी लें।
- रोज़े की वजह से परेशानी ज़ाहिर करने के लिए भीगा कपड़ा लपेटना मकरूह है कि इबादत में दिल तंग होना अच्छी बात नहीं।
- पानी के अन्दर रियाह (हवा) खारिज करने से रोज़ा नहीं जाता मगर मकरूह है और रोज़ादार को इस्तिन्जा में ज्यादती करना भी मकरूह है। इस्तिन्जा में ज्यादती करने का मतलब यह है कि जैसे और दिनों में हुक्म है कि इस्तिन्जा करने में नीचे को झोर दिया जाये और रोज़े में यह मकरूह है।
- मुँह में थूक इकट्ठा करके निगल जाना बगैर रोज़े के भी नापसन्द है और रोज़े में मकरूह।
- सहरी का खाना और उसमें देर करना मुस्तहब है मगर इतनी देर करना मकरूह है कि सुबह सादिक्क होने का शक हो जाये।
- इफ़तार में जल्दी करना मुस्तहब है मगर इफ़तार उस वक्त करें कि गुरुब का ग़ालिब गुमान हो जब तक गुमान ग़ालिब न हो इफ़तार न करें चाहे अज्ञान हो गई हो और बादल वाले दिनों में इफ़तार में जल्दी नहीं करनी चाहिए।

सहरी और इफ्तार

सहरी और इफ्तार रमजान की पहचान होने के साथ-साथ अहम रुकुन भी हैं इनकी बहुत फ़जीलत बयान की गई हैं।

सहरी और इफ्तार की फ़जीलत में कुछ अहादीस-ए-नबवी ﷺ इस तरह हैं-

- सहरी खाओ कि सहरी खाने में बरकत है।

(बुखारी व मुस्लिम व तिर्मिजी व निसाई व इन्हे माजा, अनस �رضي الله عنه से रिवायत)

- हमारे और अहले किताब के रोजों में फ़र्क सहरी का लुक्रमा है।

(मुस्लिम व अबू दाऊद व तिर्मिजी व निसाई व इन्हे खुजैमा, अग्र इन्हे आय �رضي الله عنه से रिवायत)

- तीन चीजों में बरकत है जमाअत में, सरीद (एक खाना) और सहरी में।

(तबरानी ने कबीर में सलमान फ़ारसी رضي الله عنه سे रिवायत)

- अल्लाह और उसके फ़रिश्ते सहरी खाने वालों पर दुरूद भेजते हैं।

(तबरानी औसत में और इन्हे हिब्बान सही में इन्हे उमर رضي الله عنه سे रिवायत)

- हमेशा लोग खैर के साथ रहेंगे जब तक इफ्तार में जलदी करेंगे।

(बुखारी व मुस्लिम व तिर्मिजी, सहल इन्हे सअद رضي الله عنه سे रिवायत)

- उम्मत मेरी सुन्नत पर रहेगी जब तक इफ्तार में सितारों का इन्तिजार न करे।

(इन्हे हिब्बान सहीह में उन्हीं से रिवायत)

- जब तुम में कोई रोज़ा इफ्तार करे तो खजूर या छुआरे से इफ्तार करे कि वह बरकत है और अगर न मिले तो पानी से कि वह पाक करने वाला है।

(इमाम अहमद व अबू दाऊद और तिर्मिजी व इन्हे माजा व दारमी सलमान इन्हे अमिर जबी رضي الله عنه سे रिवायत)

- हजरत अनस رضي الله عنه से रिवायत है कि हुजूर ﷺ नमाज से पहले तर खजूरों से रोज़ा इफ्तार फ़रमाते तर खजूरों न होतीं तो चन्द खुशक खजूरों से और यह भी न होतीं तो चन्द चुल्लू पानी पीते।

(अबू दाऊद व तिर्मिजी)

- हुजूर ﷺ इफ्तार के बहुत यह दुआ पढ़ते।

اللَّهُمَّ لَكَ صُبْتُ وَ عَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

(अबू दाऊद)

- जो रोजादार का रोज़ा इफ्तार कराये या ग़ाज़ी का सामान कर दे तो उसे भी उतना ही मिलेगा।

(निसाई व इन्हे खुजैमा, ज़ेद इन्हे खालिद जुहनी رضي الله عنه سे रिवायत)

- जिसने हलाल खाने या पानी से रोज़ा इफ्तार कराया फ़रिश्ते रमजान के महीने के वक्तों में उसके लिए इस्तिग़ाफ़ार करते हैं और जिब्राईल ﷺ शबे क्रद्र में उसके लिए इस्तिग़ाफ़ार करते हैं।
(तबरानी कबीर में सलमान फ़ारसी ﷺ से रिवायत)
- एक रिवायत में है जो हलाल कमाई से रमजान में रोज़ा इफ्तार कराएगा रमजान की तमाम रातों में फ़रिश्ते उस पर दुर्घट भेजते हैं और शबे क्रद्र में जिब्राईल ﷺ उससे मुसाफ़ा करते हैं और एक रिवायत में है जो रोज़ादार को पानी पिलायेगा अल्लाह तआला उसे मेरे हौज़ से पिलायेगा कि जन्नत में दाखिल होने तक प्यासा न होगा।

रोज़ा छोड़ने की इजाजत

दीन-ए-इस्लाम में सख्ती नहीं है। दीन के जो भी अहकाम हैं उनमें इन्सान की उम्र, सेहत, तंदरुस्ती और हालात के मुताबिक छूट दी जाती है। इसी तरह कुछ हालतें ऐसी भी हैं जिनमें रोज़ा छोड़ने की इजाजत है।

हदीस-ए-नबवी ﷺ

- अल्लाह तआला ने मुसाफिर से आधी नमाज़ माफ़ फ़रमा दी (यानि चार रकअत वाली दो पढ़े) और मुसाफिर, दूध पिलाने वाली और हामिला (गर्भवती) से रोज़ा माफ़ फ़रमा दिया (इनको इजाजत है कि उस वक्त छोड़कर बाद में गिनती पूरी कर लें।)

(अबू दाऊद व तिर्मिजी व निसाई व इब्ने माजा अनस इब्ने मालिक कअबी उस्तु से रिवायत)

इन लोगों को रमजान का रोज़ा छोड़ने की इजाजत है

1. मुसाफिर
2. बीमार
3. हामिला (गर्भवती) औरत।
4. बच्चे को दूध पिलाने वाली औरत।
5. बूढ़ा शख्स।
6. वह शख्स जिसको मौत का या सख्त तकलीफ़/नुकसान का डर हो।
7. जिहाद में शामिल शख्स।

ज़रूरी मसाइल

- सफ़र का मतलब सफ़र-ए-शरई है। ज़मीन पर चलने के हिसाब से इसकी दूरी लगभग (92.5 KM) किलो मीटर है।
- रोज़ा रखने के बाद दिन में सफ़र किया तो इस सफ़र की वजह से उस दिन का रोज़ा तोड़ने का हुक्म नहीं अगर तोड़ेगा तो गुनाहगार होगा मगर कफ़्फ़ारा लाज़िम नहीं आयेगा और अगर सफ़र करने से पहले तोड़ दिया फिर सफ़र किया तो कफ़्फ़ारा भी लाज़िम और अगर दिन में सफ़र किया और मकान पर

कोई चीज़ भूल गया था उसे लेने वापस आया और मकान पर आकर रोज़ा तोड़ डाला तो कफ़्फारा वाजिब है।

- मुसाफ़िर ज़वाल का वक्त शुरू होने से पहले कहीं ठहर गया और कुछ खाया पिया नहीं तो उस पर वाजिब है कि रोज़े की नीयत करके रोज़ा पूरा करें।
- मरीज़ को मर्ज़ बढ़ जाने या देर में अच्छा होने या तन्दरुस्त को बीमार हो जाने का गुमान ग़ालिब हो या ख़ादिम व ख़दिमा को ना-क़ाबिले बर्दाश्त कमज़ोरी का ग़ालिब गुमान हो तो उन सब को इजाज़त है कि उस दिन रोज़ा न रखें।
- इन सूरतों में ग़ालिब गुमान की क़ैद है सिर्फ़ वहम या ख्याल काफ़ी नहीं है। ग़ालिब गुमान की तीन सूरतें हैं –
 1. उसकी ज़ाहिर निशानियाँ पाई जाती हो।
 2. उस शरख़ ने खुद यह आज़माया हो यानि ज़ाती तजुर्बा हो।
 3. किसी मुसलमान हकीम/डाक्टर जो फ़ासिक (खुले आम गुनाह करने वाला) न हो, उसने यह ख़बर दी हो।

नोट:- अगर न कोई अलामत हो ,न तजुर्बा, न किसी मुसलमान हकीम/डाक्टर ने उसे बताया बल्कि किसी ग़ैर मुस्लिम या फ़ासिक्र हकीम/डाक्टर के कहने से इफ़तार कर लिया तो कफ़्फारा लाज़िम हो जायेगा।

- हैज़ या निफ़ास की वजह से जो औरत रोज़ा छोड़े उसे इश्ब्तियार है कि छिप कर खाये या ज़ाहिर में, रोज़ा की तरह रहना उस पर ज़रूरी नहीं मगर छिप कर खाना ज़्यादा अच्छा है ख़ास तौर पर हैज़ वाली के लिए।
- भूख और प्यास ऐसी हो कि हलाक (मौत) होने का सही डर या अक्ल जाती रहने का अन्देशा हो तो रोज़ा न रखना जाइज़ है। इससे वह लोग सबक़ ले जो शुगर की वजह से रोज़ा छोड़ देते हैं।
- जिन लोगों ने किसी उज्ज़ (शारई वजह) से रोज़ा तोड़ा उन पर फ़र्ज़ है कि उन रोज़ों की क़ज़ा रखें और इन क़ज़ा रोज़ों में तरतीब फ़र्ज़ नहीं मगर हुक्म यह है कि उज्ज़ जाने के बाद दूसरे रमज़ान के आने से पहले क़ज़ा रख ले। हदीस शरीफ में है कि जिस पर पिछले रमज़ान के क़ज़ा रोज़े बाक़ी हैं और वह न रखे उसके इस रमज़ान के रोज़े क़बूल न होंगे।

- मुसाफिर को और उसके साथ वाले को रोज़ा रखने में नुक़सान न पहुँचे तो रोज़ा रखना सफ़र में बेहतर है।
- जो लोग किसी उज्ज्र से रोज़े न रख पायें और उसी उज्ज्र में मौत हो गई, इतना मौक़ा नहीं मिला कि क़ज़ा रखते तो उनके वारिसों पर यह वाजिब नहीं कि फ़िदया अदा करें लेकिन अगर वह वसीयत कर जायें तो उनके तिहाई माल में से फ़िदया अदा करें और अगर इतना मौक़ा मिला कि क़ज़ा रोज़े रख लेते मगर न रखे तो फ़िदया अदा करने की वसीयत कर जाना वाजिब है और जानबूझ कर न रखे हों तो वसीयत करना और स़ख्त वाजिब है और वसीयत न की बल्कि वली ने अपनी तरफ़ से दे दिया तो भी जाइज़ है मगर वली पर देना वाजिब नहीं।
- एक रोज़े का फ़िदया एक शाख्स के सदक़ा-ए-फ़ित्र के बराबर है यानि 2 किलो 45 ग्राम गेहूँ या इनकी कीमत।
- वसीयत करना सिर्फ़ उतने ही रोज़ों के लिये वाजिब है जिन रोज़ों के रखने पर क़ादिर हुआ था मसलन दस क़ज़ा हुये थे और उज्ज्र जाने के बाद पाँच पर क़ादिर हुआ था कि इन्तिकाल हो गया तो पाँच ही की वसीयत है।
- एक शाख्स की तरफ़ से दूसरा शाख्स रोज़ा नहीं रख सकता।
- वह बूढ़ा शाख्स जिसकी उम्र ऐसी हो गई कि दिनों-दिन कमज़ोर होता जा रहा है और उसमें इतनी ताक़त नहीं रही कि रोज़ा रख सके और न ही आइन्दा उसमें इतनी ताक़त आने की उम्मीद है कि रोज़ा रख सकेगा उसे रोज़ा न रखने की इजाज़त है, और हर रोज़े के बदले में फ़िदया यानि दोनों वक्त एक मिस्कीन को भर पेट खाना खिलाना उस पर वाजिब है या हर रोज़े के बदले में सदक़ा-ए-फ़ित्र के बराबर किसी मिस्कीन को दें।
- अगर फ़िदया देने के बाद इतनी ताक़त आ गई कि रोज़ा रख सके तो फ़िदया सदक़ा-ए-नफ़ल हो जायेगा और उन रोज़ों की क़ज़ा रखी जायेगी।
- नफ़ल रोज़ा क़सदन शुरू करने से लाज़िम हो जाता है अगर तोड़ेगा तो क़ज़ा वाजिब होगी।
- नफ़ल रोज़ा क़सदन नहीं तोड़ा बल्कि बिला इख्लियार टूट गया मसलन रोज़े के दरमियान में हैज़ आ गया जब भी क़ज़ा वाजिब है।

- ईदैन या अद्यामे तशरीक (बक़रईद और उसके बाद के तीन दिन को अद्यामे तशरीक कहते हैं) में रोज़ा नफ़्ल रखा तो उस रोज़े का पूरा करना वाजिब नहीं न उसके तोड़ने से क़ज़ा वाजिब बल्कि इस रोज़े का तोड़ देना वाजिब है।
- जिस शख्स ने नफ़्ल रोज़ा रखा और उसके किसी भाई ने दावत की तो ज़हवा-ए-कुबरा से पहले नफ़्ल रोज़ा तोड़ देने की इजाज़त है।
- औरत ब़ैर शौहर की इजाज़त के नफ़्ल और मन्त व क्रसम के रोज़े न रखे और रख ले तो शौहर तुड़वा सकता है मगर तोड़ेगी तो क़ज़ा वाजिब होगी मगर उसकी क़ज़ा में भी शौहर की इजाज़त ज़रूरी है।
- अगर रोज़ा रखने में शौहर का कुछ हर्ज न हो मसलन वह सफ़र में है या बीमार है या एहराम में है तो इन हालतों में ब़ैर इजाज़त के भी क़ज़ा रख सकती है बल्कि अगर वह मना करे जब भी और इन दिनों में भी बिना उसकी इजाज़त के नफ़्ल नहीं रख सकती।

रमज़ान और रमज़ान के क़ज़ा रोज़ों के लिए शौहर की इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं बल्कि उसकी मनाही पर भी रखें।

नफ्ल रोजे और उनके फ़ज़ाइल

साल में कुछ ऐसे खास दिन आते हैं जिनमें रोज़ा रखने की बहुत फ़ज़ीलत बयान की गई है इन्हें नफ्ल रोजे कहते हैं। यह रोजे रखना फ़र्ज तो नहीं लेकिन इनके बहुत से फ़ज़ाइल हैं।

आशूरा यानि दस (10) मुहर्रम का रोज़ा और नौ (9) का भी बेहतर है।

- रसूलुल्लाह ﷺ फ़रमाते हैं रमजान के बाद अफ़ज़ल रोज़ा मुहर्रम का रोज़ा है और फ़र्ज के बाद अफ़ज़ल नमाज सलातुल्लैल यानि तहज्जुद की नमाज है।
(मुस्लिम व अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व निसाई अबू हुरएः से रिवायत)
- रसूलुल्लाह ﷺ जब मदीने में तशरीफ लाये यहूद को आशूरे के दिन रोजादार पाया। इरशाद फ़रमाया यह क्या दिन है कि तुम रोज़ा रखते हो। अर्ज की यह अज़मत वाला दिन है कि इसमें मूसा ﷺ और उनकी क़ौम को अल्लाह तआला ने निजात दी और फ़िरअौन और उसकी क़ौम को डुबो दिया लिहाज़ा मूसा ﷺ ने ब-तौरे शुक्र इस दिन का रोज़ा रखा तो हम भी रोज़ा रखते हैं, इरशाद फ़रमाया मूसा ﷺ की मुआफ़िकत करने में ब-निसबत तुम्हारे हम ज्यादा हक्कदार और ज्यादा क़रीब हैं तो हुज़र ﷺ ने खुद भी रोज़ा रखा और इसका हुक्म भी फ़रमाया।
(सहीहैन में इन्हे अब्बास ﷺ से मरवी)

अरफ़ा यानी नौ(9) ज़िलहिज्जा का रोज़ा।

- रसूलुल्लाह ﷺ ने अरफ़े के रोजे को हज़ार दिन के बराबर बताया मगर हज करने वाले पर जो अराफ़ात में है उसे अरफ़े के दिन का रोज़ा रखना मकरूह है।
(उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ाः से बैहकी व तबरानी रिवायत करते हैं)
- हुज़र ﷺ ने अरफ़े के दिन अराफ़ात में रोज़ा रखने से मना फ़रमाया।
(अबू दाऊद व निसाई व इन्हे खुज़ैमा अबू हुरएः से रिवायत)

शब्वाल में 6 दिन के रोजे यानि शशईद के रोजे

- रसूलुल्लाह ﷺ फरमाते हैं जिसने रमजान के रोजे रखे फिर उनके बाद छः दिन शब्वाल में रखे तो ऐसा है जैसे दहर यानि साल भर का रोजा रखा।
(मुस्लिम, अबू दाऊद, तिर्मिजी, निसाई, इब्ने माजा, तबरानी में अबू अय्यूब ؓ से रिवायत)
(और इसी के मिस्ल अबू हुरैरा ؓ से मरवी)
- रसूलुल्लाह ﷺ फरमाते हैं जिसने रमजान के रोजे रखे फिर उसके बाद छः दिन शब्वाल में रखे तो गुनाहों से ऐसे निकल गया जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ है।
(तबरानी औसत में अब्दुल्लाह इब्ने उमर ؓ से रिवायत)

शाबान का रोज़ा और पन्द्रह (15) शाबान के फ़ज़ाइल।

- हुजूर ﷺ ने फरमाया मेरे पास जिब्राईल ﷺ आये और कहा यह शाबान की पन्द्रहवीं रात है इसमें अल्लाह तआला जहन्नम से इतनों को आज्ञाद फ़रमा देता है जितने बनी कल्ब की बकरियों के बाल हैं मगर काफ़िर व अदावत वाले और रिश्ता काटने वाले और कपड़ा लटकाने वाले और वालिदैन की नाफ़रमानी करने वाले और हमेशा शराब पीने वाले की तरफ नज़रे रहमत नहीं फ़रमाता। (अरब में बनी कल्ब एक क़बीला है जिनके यहाँ बकरियाँ बहुत होती थीं)। इमाम अहमद ने इब्ने उमर ؓ से जो रिवायत की उसमें क़ातिल का भी ज़िक्र है। (बैहकी ने उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका रजीअल्लाह अन्हा से रिवायत)
- नबी ﷺ फ़रमाते हैं जब शाबान की पन्द्रहवीं रात आ जाती है तो उस रात को क्रियाम करो यानि पूरी रात नमाज और इबादत में गुजारो और दिन में रोजा रखो कि रब तबारक व तआला गुरुबे आफ़ताब से आसमाने दुनिया पर खास तजल्ली फ़रमाता है और फ़रमाता है कि कोई ब़िश्याश चाहने वाला कि उसे बख्श दूँ, है कोई रोजी तलब करने वाला कि उसे रोज़ी दूँ, है कोई मुसीबत में मुब्तला कि उसे आफ़ियत दूँ, है कोई ऐसा! , है कोई ऐसा ! और यह उस वक्त तक फ़रमाता है कि फ़ज़्र यानि सुबह सादिक तुलू हो जाये।
(इब्ने माजा, हज़रत अलीؑ से रिवायत)
- उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका रजीअल्लाह अन्हा फ़रमाती हैं कि मैंने हुजूर अक़दस ﷺ को शाबान से ज्यादा किसी महीने में रोजा रखते नहीं देखा।

हर महीने में तीन रोजे खास तौर पर 13, 14, 15 तारीख को जिन्हें “अय्यामे बैज़” कहते हैं।

- रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया हर महीने में तीन दिन के रोजे ऐसे हैं जैसे दहर (हमेशा) का रोज़ा। (सही बुखारी, मुस्लिम में अब्दुल्लाह इब्ने अग्र बिन आसू रूप से मरवी)
- रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया जब महीने में तीन रोजे रखने हों तो तेरह, चौदह, पन्द्रह को रखो। (इमाम अहमद व तिर्मिज़ी व निसाई व इब्ने माजा अबू ज़र रूप से रिवायत)
- हुजूर अकदस ﷺ चार चीजों को नहीं छोड़ते थे।
 1. आशूरा यानि दस मुहर्रम का रोज़ा,
 2. जिलहिज्जाह में पहली तारीख से नौ तारीख तक के रोजे,
 3. हर महीने में तीन दिन के रोजे और
 4. फ़ज्ज के पहले दो रकअतें।

(निसाई ने उम्मल मोमिनीन हफ़सा रज़ीअल्लाह तआला अन्हा से रिवायत)

पीर और जुमेरात के रोज़े।

- रसूलुल्लाह ﷺ फ़रमाते हैं पीर और जुमेरात को आमाल पेश होते हैं तो मैं पसन्द करता हूँ कि मेरा अमल उस वक्त पेश हो कि मैं रोजादार हूँ। (सुन-ए-तिर्मिज़ी में अबू हैरान रूप से मरवी)
- इब्ने माजा में उन्हीं से रिवायत है कि हुजूर ﷺ पीर और जुमेरात को रोजे रखा करते थे। इसके बारे में अर्ज की गई तो फ़रमाया इन दिनों में अल्लाह तआला हर मुसलमान की मग़फ़िरत फ़रमाता है मगर वह दो शख्स जिन्होंने आपस में एक दूसरे से जुदाई कर ली है उनके बारे में मलाइका से फ़रमाता है इन्हें छोड़ो यहाँ तक कि यह सुलह कर लें।
- हुजूर ﷺ से पीर के दिन रोजे का सबब दरयाप्रति किया गया। फ़रमाया इसी में मेरी विलादत (पैदाइश) हुई और इसी में मुझ पर “वही” नाज़िल हुई। (सही मुस्लिम शरीफ में अबू क़तादा रूप से मरवी)

एतिकाफ़

मस्जिद में इस नीयत के साथ ठहरना कि अल्लाह के लिए ठहरा है एतिकाफ़ है। एतिकाफ़ के लिए मुसलमान, आक्रिल यानि समझदार होना और पाक व साफ़ होना शर्त है।

एतिकाफ़ की तीन किस्म हैं

- वाजिब –** एतिकाफ़ की मन्त्र मानने से एतिकाफ़ वाजिब हो जाता है इसके लिये दिल के इरादे के साथ-साथ ज़ुबान से भी कहना ज़रूरी है सिर्फ़ दिल में इरादे से वाजिब नहीं होगा।
- सुन्नते मुअक्कदा –** रमजान के आखिर के दस दिन में एतिकाफ़ करना सुन्नते मुअक्कदा है। यह एतिकाफ़ सुन्नते किफाया है यानि अगर सब छोड़ दें तो सबसे इसके बारे में मुतालबा होगा और शहर में एक ने कर लिया तो सब इस जिम्मेदारी से आजाद हो गये। इस एतिकाफ़ में बीस रमजान को सूरज डूबते वक्त से ईद का चाँद होने तक एतिकाफ़ की नीयत से दिन-रात मस्जिद में रहना ज़रूरी है।
- मुस्तहब/सुन्नते गैर मुअक्कदा –** इन दोनों के अलावा अगर एतिकाफ़ किया जाये वह मुस्तहब या सुन्नते गैर मुअक्कदा है।

एतिकाफ़ के मुतालिक़ कुछ अहादीस

- रसूलुल्लाह ﷺ रमजान के आखिर अशरा (यानि रमजान के आखिरी दस दिन) का एतिकाफ़ करते थे।
(सहीहैन में उम्मल मोमिनीन सिद्दीका रजीअल्लाहु तआला अन्हा से मरवी)
- एतिकाफ़ करने वाले पर सुन्नत यह है कि न मरीज की इयादत को जाये, न जनाज़े में हाजिर हो, न औरत को हाथ लगाये और न उससे मुबाशरत करे और न कुछ खास ज़रूरतों के अलावा किसी दूसरी ज़रूरत के लिए मस्जिद के बाहर जाये मगर उस हाजत के लिए जा सकता है जो ज़रूरी है और एतिकाफ़ बगैर रोज़े के नहीं और एतिकाफ़ जमाअत वाली मस्जिद में करे।

(अबू दाऊद उन्हीं से रिवायत)

- रसूलुल्लाह ﷺ ने एतिकाफ़ करने वाले के बारे में फ़रमाया कि वह गुनाहों से बाहर रहता है और नेकियों से उसे इस क्रद सवाब मिलता है जैसे उसने तमाम नेकियाँ कीं।

(इब्ने माजा इब्ने अब्बास رضي الله عنه سے रिवायत)

- हुजूर अकदस ﷺ ने फ़रमाया जिसने रमजान में दस दिनों का एतिकाफ़ कर लिया तो ऐसा है जैसे दो हज और दो उमरे किये।

(बैहकी इमाम हुसैन رضي الله عنه سے रिवायत)

एतिकाफ़ के लिये ज़रूरी मसाइल

- एतिकाफ़ के लिए जामा मस्जिद होना शर्त नहीं बल्कि मस्जिद-ए-जमाअत में भी हो सकता है। मस्जिदे जमाअत वह है जिसमें इमाम व मुअज्जिन मुकर्रर हों, चाहे उसमें पाँचों वक्त की नमाज़ नहीं होती। वैसे आसानी के तौर पर हर मस्जिद में एतिकाफ़ सही है चाहे वह मस्जिद-ए-जमाअत न भी हो।
- सबसे ज्यादा अफ़ज़ल एतिकाफ़ मस्जिद हरम शरीफ़ में है, फिर मस्जिद नबवी शरीफ़ में, फिर मस्जिद अक्सा में, फिर उस मस्जिद में जहाँ बड़ी जमाअत होती हो।
- औरत को मस्जिद में एतिकाफ़ मकरूह है बल्कि वह घर में ही एतिकाफ़ करे मगर उस जगह करे जो उसने नमाज़ पढ़ने के लिए मुकर्रर कर रखी हो।
- अगर औरत ने नमाज़ के लिए कोई जगह मुकर्रर नहीं कर रखी है तो घर में एतिकाफ़ नहीं कर सकती अलबत्ता अगर उस वक्त यानि जबकि एतिकाफ़ का इरादा किया किसी जगह को नमाज़ के लिए खास कर लिया तो उस जगह एतिकाफ़ कर सकती है।
- एतिकाफ़-ए-मुस्तहब के लिए न रोजा शर्त है न उसके लिए कोई खास वक्त मुकर्रर बल्कि जब मस्जिद में एतिकाफ़ की नीयत की जब तक मस्जिद में है एतिकाफ़ से है, मस्जिद के बाहर चला गया तो एतिकाफ़ खत्म हो गया।

नोट: जब भी मस्जिद में जाए एतिकाफ़ की नीयत कर लें। नीयत करते वक्त यह कहे “नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़” — और उसके बाद थोड़ी देर कुछ इबादत भी ज़रूर करे और इसके बाद जितनी देर मस्जिद में रहेगा उतनी देर इबादत का सवाब पाएगा।

- एतिकाफ़-ए-सुन्नत यानि वह एतिकाफ़ जो रमजान की आखिरी दस तारीखों में किया जाता है उसमें रोज़ा शर्त है। लिहाज़ा अगर किसी मरीज़ या मुसाफ़िर ने एतिकाफ़ तो किया मगर रोज़ा न रखा तो सुन्नत अदा न हुई बल्कि नफ़्ल हुआ।
- मन्नत के एतिकाफ़ में भी रोज़ा शर्त है यहाँ तक कि अगर एक महीने के एतिकाफ़ की मन्नत मानी और यह कहा कि रोज़ा नहीं रखेगा जब भी रोज़ा रखना वाजिब है।
- अगर रात के एतिकाफ़ की मन्नत मानी तो यह मन्नत सही नहीं कि रात में रोज़ा नहीं हो सकता और अगर इस तरह कहा कि “एक दिन रात का मुझ पर एतिकाफ़ है” तो यह मन्नत सही है और अगर आज के एतिकाफ़ की मन्नत मानी और खाना खा चुका है तो मन्नत सही नहीं।
- एतिकाफ़-ए-वाजिब और एतिकाफ़-ए-सुन्नत में मस्जिद से बगैर उज्ज्र निकलना हराम है, निकले तो एतिकाफ़ टूट जायेगा चाहे भूलकर ही निकला हो। इसी तरह औरत ने मस्जिद-ए-बैत (घर में जो जगह नमाज़ के लिए खास कर ली हो) में एतिकाफ़े वाजिब या सुन्नत किया तो बगैर उज्ज्र वहाँ से नहीं निकल सकती अगर वहाँ से निकली चाहे घर ही में रही एतिकाफ़ जाता रहा।
- एतिकाफ़ करने वाले के लिये मस्जिद से निकलने के दो उज्ज्र हैं एक हाजित-ए-तबर्द जो मस्जिद में पूरी नहीं हो सकती जैसे पाखाना, पेशाब, इस्तिन्जा, वुजू और गुस्ला।
- गुस्ला/वुजू के लिये बाहर जाने की यह शर्त है कि मस्जिद में इनका इन्तज़ाम न हो। मस्जिद में वुजू/गुस्ल कर सकते हों तो बाहर जाने की इजाज़त नहीं।
- दूसरा उज्ज्र हाजित-ए-शरर्द है जैसे जुमा की नमाज़ के लिए या अज्ञान कहने के लिए मीनार पर जाना।
- क़ज़ा-ए-हाजित यानि पेशाब-पाखाने को गया तो पाक होकर फ़ौरन चला आये ठहरने की इजाज़त नहीं और अगर मोतकिफ़ के दो मकान हैं एक पास दूसरा दूर तो पास वाले मकान में जाये बाज़ मशाइख़ फ़रमाते हैं दूर वाले में जायेगा तो एतिकाफ़ फ़ासिद हो जायेगा।
- दिन में भूल कर खा लेने से एतिकाफ़ फ़ासिद नहीं होता।

- एतिकाफ़ के दौरान ढूबने या जलने वाले को बचाने के लिये , गवाही देने के लिये , जिहाद में जाने के लिये, मरीज़ की इयादत या नमाज़े जनाज़ा के लिए मस्जिद से बाहर गया तो इन सब सूरतों में एतिकाफ़ फ़ासिद हो गया।
- अगर मन्त्र मानते वक्त यह शर्त कर ली कि मरीज़ की इयादत, जनाज़ा की नमाज़ या इल्म की मजलिस में हाज़िर होगा तो अब इनके लिए जाने से एतिकाफ़ फ़ासिद नहीं होगा। मगर खाली दिल में नीयत करना काफ़ी नहीं, ज़ुबान से कहना ज़रूरी है।
- पाखाना, पेशाब के लिए गया था क़र्ज़ा माँगने वाले ने रोक लिया एतिकाफ़ फ़ासिद हो गया।
- एतिकाफ़ करने वाले को जिमा करना, औरत का बोसा लेना, छूना या गले लगाना हराम है इससे एतिकाफ़ फ़ासिद हो जायेगा।
- गाली-गलौच, झगड़ा करने से एतिकाफ़ फ़ासिद नहीं होता मगर बे-नूर व बे-बरकत हो जाता है।
- एतिकाफ़ करने वाले को मस्जिद में ही खाना, पीना और सोना चाहिये इन कामों के लिए मस्जिद से बाहर गये तो एतिकाफ़ खत्म, मगर खाने, पीने में यह एहतियात लाज़िम है कि मस्जिद में खाना या पानी गिरने से गंदगी न हो।
- एतिकाफ़ के अलावा किसी को मस्जिद में खाने, पीने, सोने की इजाज़त नहीं, अगर ऐसा करना चाहे तो एतिकाफ़ की नीयत करके मस्जिद में जाये और नमाज़ पढ़े या जिक्रे इलाही करे फिर यह काम कर सकता है। इस पर ज़रा ध्यान दें आजकल लोगों में मस्जिद का एहतराम बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। मस्जिद में बैठकर इधर-उधर की बातें करते रहते हैं, बेधड़क आकर सो जाते हैं यह सब ग़लत है। इससे बचें।
- एतिकाफ़ करने वाले न तो चुप ही रहें और न कोई बुरी बात मुँह से निकालें, इबादत की नीयत से या सवाब समझकर चुप रहना मकरूहे तहरीमी है।
- एतिकाफ़ करने वाले को चाहिये कि चुप रहने या बात करने के बजाय ज्यादा वक्त कुरआन मजीद की तिलावत, हदीस शारीफ़ की क़िरात, दुरूद शरीफ़ की कसरत, इल्मे दीन की किताबें वगैरा पढ़ने या पढ़ाने में लगाए।

रोज़े की हकीकत

आमतौर पर तो सुबह सादिक से सूरज ढूबने के वक्त तक खाने पीने और जिन्सी अमल (Sexual Act) से रुके रहने से रोज़ा अदा हो जाता है मगर सही मआनी में रोज़ा जिस्म के हिस्सों को गुनाहों से बचा कर रखने से होता है। यह छः चीज़ों से पूरा होता है।

1. नज़रों की हिफ़ाज़त

नज़र नीची रखना और जो बातें बुरी और मकरुह हैं उनकी तरफ़ से नज़र को बचाना और साथ ही उन चीज़ों को देखने से अपनी नज़र को बचाना जिनसे दिल बटाता हो और अल्लाह तआला की याद से ग़ाफ़िल होता हो।

हमारे प्यारे नबी ﷺ ने फ़रमाया कि-

- नज़र ज़हर का बुझा हुआ शैतान के तीरों में से एक तीर है। जो अल्लाह तआला के खौफ से उसे छोड़ देगा अल्लाह तआला उसे ऐसा इनाम इनायत फ़रमायेगा जिसकी मिठास वह अपने दिल में पाएगा। (हाकिम में हुज़ेफ़ा رضي الله عنه سے रिवायत)

2. जुबान की हिफ़ाज़त

जुबान को बेहूदा बातों, झूठ, चुगलखोरी, ग़ीबत और बेहयाई की बातों से बचाना और ज़ुल्म, झगड़े और दूसरों की बात काटने से बचना और ऐसे मौक़ों पर खामोशी इस्खितयार कर लेना। सबसे बेहतर तो यह है कि ज़िक्र-ए-इलाही और तिलावते कुरआन में ज़बान को लगाये रखना।

हदीस शरीफ़ में आप ﷺ के फ़रमान हैं कि-

- यह चीजें रोज़ा तोड़ती हैं झूठ, चुगली, ग़ीबत, बेहयाई।
- रोज़ा ढाल है जब तुम में से कोई रोज़ा रखे तो बेहयाई की बातें न करे, न झगड़ा करे अगर कोई उससे लड़ाई करे या गाली दे तो उससे कह दे कि मैं रोज़ादार हूँ।

(बुखारी, मुस्लिम में अबू हुरएरा رضي الله عنه سे रिवायत)

ग़ीबत के बारे में हुजूर ﷺ के ज़माना-ए-मुबारक की एक हिकायत:

हुजूर ﷺ के ज़माना-ए-मुबारक में दो औरतों ने रोज़ा रखा और शाम होने तक वो भूख और प्यास से इतनी बेहाल हुईं कि मरने के क़रीब हो गईं, उन्होंने हुजूर ﷺ की खिदमत में एक शख्स को भेज कर इफ्तार की इजाजत चाही, आप ﷺ ने उनके पास एक प्याला भेजा और इश्शाद फ़रमाया कि उन दोनों को कहना कि जो कुछ तुमने खाया हो इस प्याले में कै (उल्टी) कर दो, जब दोनों ने कै की तो प्याला ताज़ा खून और ताज़ा गोश्त से भर गया लोगों ने यह देख कर तआज्जुब किया। हुजूर ﷺ ने फ़रमाया कि उन दोनों ने अल्लाह की हलाल की हुई चीज़ों से रोज़ा रखा और अल्लाह की हराम की हुई चीज़ों से इफ्तार किया। एक दूसरी के पास बैठ गई, उन दोनों ने लोगों की ग़ीबत शुरू की। यह गोश्त प्याले में वह ही है जो उन दोनों ने लोगों की ग़ीबत करके खाया।

3. बुरी बात सुनने से कानों को बचाना

बुरी बात सुनने से अपने कानों को बचाना इस बारे में यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि जिस बात का बोलना हराम है उनका सुनना भी हराम है।

- हुजूर ﷺ ने फ़रमाया कि ग़ीबत करने वाला और सुनने वाला गुनाह में दोनों शरीक हैं।

(तबरानी में इन्हे उमर ﷺ से रिवायत)

4. सिर्फ़ हलाल रिज़क का इस्तेमाल करना

इफ्तार के वक्त हलाल की कमाई से हासिल की हुई खाने की हलाल चीज़ों का ही इस्तेमाल करना। साथ ही हाथ पाँव और दूसरे हिस्सों को बुरी बातों से रोकना। बेहतर यह है कि शक वाली चीज़ें इफ्तार में इस्तेमाल न करें क्योंकि दिन भर तो हलाल खाने से भी रुका रहे और इफ्तार हराम चीज़ों से किया जाये तो ऐसे रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं।

- हुजूर ﷺ ने फ़रमाया कि बहुत से रोजादार ऐसे हैं जिनके रोजे का हासिल सिवाय भूख और प्यास के कुछ भी नहीं है।

(निसाई में इन्हे मसूद ﷺ से रिवायत)

इस हदीस के बारे में आलिमों की अलग-अलग राय हैं, कुछ के मुताबिक़ यह उस शख्स के बारे में है जो हराम खाने से इफ्तार करो। कुछ कहते हैं कि यह उस

शख्स के बारे में है जो लोगों के गोशत से इफ्तार करे (यानि ग़ीबत करे)। कुछ का मानना है कि इससे मुराद वह शख्स है जो अपने आज्ञा को गुनाहों से न बचाये।

5. हलाल रिज़क भी कम इस्तेमाल करना

इफ्तार के बक्त हलाल भी ज्यादा न खाये कि पेट फूल जाये क्योंकि अल्लाह के नज़दीक कोई बरतन इतना बुरा नहीं जितना बुरा पेट है जिसे हलाल रिज़क से भर दिया गया हो। अक्सर ऐसा होता है कि रोज़े में बहुत सी क़िस्म के खाने सहरी और इफ्तारी के लिये बनाये जाते हैं और रमजान में इतना खा जाते हैं कि आम दिनों में कई महीनों में भी न खायें। ज़ाहिर है कि रोज़े का मक्कसद पेट को खाली रखना और नफ़्स की ख्वाहिश को तोड़ना है। रोज़े से मुराद यह है कि नफ़्स परहेज़गार हो जाये। जब दिन भर मेदे को खाली रख कर शाम को खूब पेट भर कर लज़ीज़ खाने खाये जायें तो नफ़्सानी ख्वाहिशात और ताक़तवर हो जाती हैं जिससे रोज़े का मक्कसद खत्म हो जाता है। रोज़े की अस्ल रुह यह है कि बुराइयाँ पैदा करने वाली चीज़ें कमज़ोर पड़ें और शैतान के वार बेकार हों और यह रुह तभी हासिल होती है जब ग़िज़ा में कमी की जाये। रोज़े में बेहतर तो यह है कि दिन को बहुत न सोयें ताकि भूख और प्यास का पता चले और कमज़ोरी महसूस हो। कम खाने से रात को भी हल्का महसूस करेगा जिससे तहज्जुद और दूसरे वज़ाइफ़ अदा करने में भी आसानी होगी। इस तरह शैतान उसके आस-पास नहीं भटकेगा और मुमकिन है कि वह आसमान के फ़रिश्तों को देख ले। लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिये कि इसके लिये खाली पेट काफ़ी नहीं बल्कि यह भी ज़रूरी है कि अपना दिल गैर-अल्लाह से खाली रखे यानि अल्लाह के सिवा किसी का ख्याल दिल में न हो और यही अस्ल है।

6. इफ्तार के बाद दिल में खौफ और उम्मीद के मिले-जुले असरात होना

खौफ़ इस वजह से कि कहीं किसी ग़लती या कमी की वजह से उसका रोज़ा कुबूल न हुआ हो, जिसकी वजह से उस पर अल्लाह का ग़ज़ब नाज़िल हो। साथ ही यह उम्मीद भी रखनी चाहिये कि अल्लाह तआला उसका रोज़ा कुबूल फ़रमा कर उससे राज़ी हो जायेगा और अपने कुर्ब वाले बन्दों में शामिल करेगा।

नमाज़-ए-तरावीह

तरावीह मर्द व औरत सब के लिए सुन्नत-ए-मौअक्कदा है इसका छोड़ना जाइज़ नहीं। खुद हुज़ूर ﷺ ने भी तरावीह पढ़ी और उसे बहुत पसंद फ़रमाया। सही मुस्लिम में अबू हुरैरा ؓ से मरवी इशाद फ़रमाते हैं जो रमजान में क्रियाम करे ईमान की वजह से और सवाब तलब करने के लिए उसके अगले गुनाह बरछा दिये जायेंगे यानि स़ारीरा (छोटे-छोटे गुनाह)।

फिर हुज़ूर ﷺ ने इस अन्देशे से कि उम्मत पर फ़र्ज़ न हो जाये तर्क़ फ़रमाई। फिर फ़ारूक़े आज़म ﷺ रमजान में एक रात मस्जिद में तशरीफ़ ले गये और लोगों को अलग-अलग नमाज़ पढ़ते पाया। फ़रमाया मैं मुनासिब जानता हूँ कि इन सबको एक इमाम के साथ जमा कर दूँ तो बेहतर हो। सब को एक इमाम उबई इब्ने कअबؓ के साथ इकट्ठा कर दिया फिर दूसरे दिन तशरीफ़ ले गये तो देखा कि लोग अपने इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं तो फ़रमाया यह अच्छी बिदअत है।

तरावीह के ज़रूरी मसाइल

- ज्यादातर उलमा-ए-किराम के नज़दीक तरावीह की बीस रक़अतें हैं और यही अहादीस से साबित है।
- इसका वक्त इशा के फ़र्जों के बाद से तुलू-ए-फ़ज्ज तक है।
- तरावीह वित्र से पहले भी हो सकती है और बाद में भी।
- अगर किसी शाखा की तरावीह की कुछ रक़अतें बाक़ी रह गईं और इमाम ने वित्र पढ़ना शुरू कर दिया तो इमाम के साथ वित्र पढ़ लें फिर बाक़ी अदा कर लें जबकि फ़र्ज़ जमाअत से पढ़े हों यह अफ़ज़ल है, अगर तरावीह पूरी करके वित्र तन्हा पढ़े तो भी जाइज़ है।
- तरावीह के लिये पहले इशा की नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है।
- अगर भूल से इशा की नमाज़ बिना तहारत पढ़ ली और तरावीह व वित्र तहारत के साथ तो इशा व तरावीह फिर पढ़ें वित्र हो गये।

- मुस्तहब यह है कि तिहाई रात तक देर करें, आधी रात के बाद पढ़ें तब भी कराहत नहीं।
- तरावीह की क़ज़ा नहीं यानि अगर छूट गई और वक्त ख़त्म हो गया तो नहीं पढ़ सकते।
- तरावीह की बीस रकअतें दस सलाम से पढ़ें यानि हर दो रकअत पर सलाम फेरें और अगर किसी ने बीसों रकअतें पढ़कर आस्थिर में सलाम फेरा तो अगर हर दो रकअत पर क़ादा करता रहा (यानि तशह्वुद पढ़ता रहा) तो हो जायेगी मगर कराहत के साथ और अगर क़ादा न किया था तो सिर्फ़ दो रकअत तरावीह हुईं।
- एहतियात यह है कि जब दो रकअत पर सलाम फेरें तो हर दो रकअत पर अलग-अलग नीयत करें और अगर एक साथ बीसों रकआत की नीयत कर ली तो भी जाइज़ है।
- तरावीह में एक बार कुरआन पाक ख़त्म करना सुन्नत-ए-मौअक्कदा है।
- अगर कुरआन पाक पहले ख़त्म हो गया तो तरावीह आस्थिर रमज़ान तक बराबर पढ़ते रहें क्योंकि यह सुन्नत-ए-मौअक्कदा है।
- किरात और अरकान की अदायगी में जल्दी करना मकरूह है, तरतील (यानि ठहर-ठहर कर) बेहतर है। इसी तरह अ़ज़्जुबिल्लाहि व बिस्मिल्लाह को भी इत्मिनान से पढ़ें और तस्बीह वग़ैरा का छोड़ देना भी मकरूह है।
- हर चार रकआत पर इतनी देर तक बैठना मुस्तहब है जितनी देर में चार रकअतें पढ़ें। बीसों रकअतें पढ़ने के बाद अगर भारी हो तो न बैठें।
- तरावीह में हर चार रकआत एक ‘तरवीहा’ है। इस तरह बीस रकआत में पाँच तरवीहा हुईं।
- हर चार रकअत के दरमियान जब बैठें चाहे खामोश रहें या कलिमा, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, तिलावत करें या चार रकअतें तन्हा नफ्ल पढ़ें जमाअत से मकरूह है।

- हर चार रक्त अत तरावीह के बाद बैठ कर नीचे दी हुई तस्बीह पढ़ें।

سُبْحَانَ ذِي الْكِلْمَكُوتِ

سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْعَظَمَةِ وَالْهَمَيْةِ

وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبَرُوتِ

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَمِيمِ لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوتُ

سُبُورْ قُدُوسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلِكَةِ وَرُوحٍ

اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُحِيرُ يَا مُحِيرُ يَا مُحِيرُ

- तरावीह में जमाअत सुन्नत-ए-किफ़ाया है कि अगर मस्जिद के सब लोग छोड़ देंगे तो सब गुनाहगार होंगे और अगर किसी एक ने घर में तन्हा पढ़ ली तो गुनाहगार नहीं। बिला उज्ज्र जमाअत छोड़ने की भी इजाजत नहीं।
- तरावीह मस्जिद में बा-जमाअत पढ़ना अफ़ज़ल है अगर घर में जमाअत से पढ़ी तो जमाअत के छोड़ने का गुनाह नहीं, मगर मस्जिद में पढ़ने जैसा सवाब नहीं मिलेगा।
- अगर आलिम हाफ़िज़ भी हो तो अफ़ज़ल यह है कि खुद पढ़ें दूसरे की इक्रितदा न करें और अगर इमाम ग़लत पढ़ता हो तो मुहल्ले की मस्जिद

छोड़ कर दूसरी मस्जिद में जाने में हर्ज नहीं। यूँ ही अगर दूसरी जगह का इमाम खुश आवाज़ हो या हल्की क्रिरात पढ़ता हो या मुहल्ले की मस्जिद में खत्म नहीं होगा तो दूसरी मस्जिद में जाना जाइज़ है।

- अच्छी आवाज़ से पढ़ने वाले को इमाम बनाना ज़रूरी नहीं बल्कि सही कुरआन पढ़ने वाले को इमाम बनायें।
- नाबालिगा के पीछे बालिगों की तरावीह नहीं होगी।
- रमजान शरीफ में वित्र जमाअत के साथ पढ़ना अफ़ज़ल है चाहे उसी इमाम के पीछे जिसके पीछे इशा व तरावीह पढ़ी या दूसरे के पीछे।
- यह जाइज़ है कि एक शख्स इशा व वित्र पढ़ाए दूसरा तरावीह।
- अगर इशा जमाअत से पढ़ी और तरावीह अकेले तो वित्र जमाअत से पढ़ सकता है। अगर इशा बिना जमाअत पढ़ी तो वित्र अकेले पढ़ें।
- तरावीह बैठ कर पढ़ना मकरूह है बल्कि कुछ के नज़दीक तो हुई नहीं।
- मुक्तदी को यह जाइज़ नहीं कि बैठा रहे और जब इमाम रुकू करने को हो तो खड़ा हो जाए कि यह मुनाफ़िकों से मुशाबहत है यानि मुनाफ़िकों का तरीका है। अल्लाह तआला इरशाद फ़रमाता है:- “मुनाफ़िक़ जब नमाज़ को खड़े होते हैं तो थके जी से”।
- तरावीह में अक्सर देखा जाता है कि इमाम के क्रिरात करते वक्त कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं, कुछ चाय-पानी में लग जाते हैं और जब इमाम रुकू में जाते हैं तो दौड़ कर जमाअत में शामिल हो जाते हैं यह नाजाइज़ है, क्योंकि कुरआन पाक सुनना फ़र्ज़ है।
- दो रकअत पर बैठना भूल गया और खड़ा हो गया तो जब तक तीसरी का सजदा नहीं किया बैठ जाए और सजदा कर लिया हो तो चार पूरी करे मगर दो रकअत ही मानी जायेंगी।
- इमाम से गलती हुई कोई सूरत या आयत छूट गई तो मुस्तहब यह है कि उसे पहले पढ़कर फ़िर आगे पढ़ें।

- अगर किसी वजह से नमाजे तरावीह फ़ासिद हो जायें तो जितना कुरआन मजीद इन रकअतों में पढ़ा है उसे दोबारा पढ़ें ताकि ख़त्म में नुक़सान न रहे।
- तीन रकआत पढ़ कर सलाम फेरा अगर दूसरी पर बैठा नहीं था तो न हुई इनके बदले की दो रकआत फिर पढ़ें।
- वित्र पढ़ने के बाद लोगों को याद आया कि दो रकअतें रह गयीं तो जमाअत से पढ़ लें और आज याद आया कि कल दो रकअतें रह गईं थीं तो जमाअत से पढ़ना मकरूह है।
- सलाम फेरने के बाद कोई कहता है दो हुईं कोई कहता है तीन, तो इमाम के इल्म में जो हो उसका ऐतबार है और इमाम को किसी बात का यकीन न हो तो जिसको सच्चा जानता हो उसके कौल का ऐतबार करें, अगर इसमें जिन लोगों को शक हो तो दो रकअत तन्हा-तन्हा पढ़ें।
- अगर किसी वजह से ख़त्म न हो तो सूरतों की तरावीह पढ़ें।

फ़ायदा:- हमारे इमामे आज्ञम ﷺ रमजान शरीफ में इक्सठ (61) कुरआन पाक ख़त्म किया करते थे। तीस दिन में और तीस रात में और एक तरावीह में और पैंतालीस (45) साल इशा के बुजू से नमाजे फ़क्त पढ़ी है।

सदक़ा-ए-फ़ित्र

हर वह शख्स जिस के पास अपनी अस्ल हाजत से ज्यादा माल या सामान है उस पर सदक़ा-ए-फ़ित्र वाजिब है। यह रोज़ों का सदक़ा है। इसे ईद की नमाज़ से पहले अदा कर देना चाहिये क्योंकि जब तक फ़ितरा अदा न किया जाये तो रोज़े आसमान और ज़मीन के बीच मुअल्लक़ रहते हैं।

सदक़ा-ए-फ़ित्र के बारे में नबी-ए-करीम ﷺ की कुछ अहादीस-

- रसूलुल्लाह ﷺ ने ज़काते फ़ित्र एक साअ खजूर या जौ, गुलाम व आजाद मर्द व औरत छोटे और बड़े मुसलमान पर मुकर्रर की और यह हुक्म फ़रमाया कि (ईद की) नमाज़ को जाने से पहले अदा कर दे। (साअः अरब में नापने का पैमाना या यूनिट)

(सही बुवारी व मुस्लिम में अब्दुल्लाह इब्ने उमर رضي الله عنه سے मरवी कि)

- अपने रोज़े का सदक़ा अदा करो इस सदक़े को रसूलुल्लाह ﷺ ने मुकर्रर फ़रमाया एक साअ खुर्मा या जौ या आधा साअ गेहूँ।
(अबू दाऊद व नसई की रिवायत में है कि अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास رضي الله عنه ने आखिर रमजान में फ़रमाया)
- हुजूर अक्रदस ﷺ ने एक शख्स को भेजा कि मक्का के कूचों में ऐलान कर दे कि सदक़ा-ए-फ़ित्र वाजिब है।

(तिर्मिज़ी शरीफ में ब-रिवायते अग्र इब्ने शुएब अन अबीहे अन जद्दही)

- रसूलुल्लाह ﷺ ने ज़काते फ़ित्र मुकर्रर फ़रमाई कि लऱ्व और बेहूदा कलाम से रोज़े की तहारत हो जाए और मिस्कीनों की खुरिश (खुराक व़ौरा) हो जाए।

(अबू दाऊद व इब्ने माजा व हाकिम इब्ने अब्बास رضي الله عنه سे मरवी)

- हुजूर ﷺ ने फ़रमाया कि बन्दे का रोज़ा आसमान व ज़मीन में मुअल्लक़ (लटका) रहता है जब तक कि सदक़ा-ए-फ़ित्र अदा न करे।

(दैलमी व खतीब व इब्ने असाकिर अनस رضي الله عنه سे रिवायत)

सदक्ता-ए-फ़ित्र के बारे में ज़रूरी मसाइल

- सदक्ता-ए-फ़ित्र वाजिब है। इसे ईद की नमाज़ से पहले अदा करना मसनून (बेहतर) है। यह कभी साक्रित यानि ख़त्म नहीं होता और उम्र भर ज़िम्मे रहेगा जब तक अदा नहीं किया। अदा नहीं किया हो तो फ़ौरन अदा कर दें। इसकी क़ज़ा नहीं बाद में भी अदा ही है।

सदक्ता-ए-फ़ित्र कब वाजिब होता है?

- ईद के दिन सुबह सादिक़ यानि फ़ज़्र का वक्त शुरू होते ही सदक्ता-ए-फ़ित्र वाजिब हो जाता है।
- अगर कोई शाख़स सुबह सादिक़ होने से पहले मर गया तो फ़ितरा वाजिब नहीं हुआ लेकिन सुबह सादिक तुलू होने के बाद मरा तो उसका फ़ितरा अदा करना वाजिब है।
- अगर कोई शाख़स गनी था सुबह सादिक़ होने से पहले फ़कीर हो गया तो फ़ितरा वाजिब नहीं हुआ, लेकिन सुबह सादिक तुलू होने के बाद फ़कीर हुआ तो फ़ितरा वाजिब हो गया।
- इसी तरह कोई शाख़स फ़कीर था सुबह सादिक़ होने से पहले गनी हुआ तो उस पर फ़ितरा वाजिब है।
- अगर सुबह सादिक़ होने से पहले कोई काफ़िर मुसलमान हुआ या कोई बच्चा पैदा हुआ तो फ़ितरा वाजिब हो गया, लेकिन सुबह सादिक़ होने के बाद काफ़िर मुसलमान हुआ या बच्चा पैदा हुआ तो फ़ितरा वाजिब नहीं हुआ।

सदक्ता-ए-फ़ित्र किस पर वाजिब है?

- सदक्ता-ए-फ़ित्र हर आज्ञाद मुसलमान मालिक-ए-निसाब पर वाजिब है जिसकी निसाब हाजत-ए-असलिया से फ़ारिग़ हो यानि उसका माल उसकी अस्ल हाजत से ज़्यादा हो। उसमें आकिल, बालिग और माल-ए-नामी यानि बढ़ने वाले माल का होना शर्त नहीं।

- **मालिक-ए-निसाब:** मालिक-ए-निसाब होने का मतलब है कि किसी शख्स के पास साढ़े बावन (52.5) तोला (यानि लगभग 612 ग्राम) चाँदी, उतनी रक्म या उतनी ही कीमत का माल व सामान उसकी अस्ल हाजत से ज्यादा हो।
- **हाजत-ए-असलिया:** वह चीजें जिनकी जिन्दगी बसर करने में आदमी को ज़रूरत होती है। उन चीजों पर ज़कात वाजिब नहीं जैसे रहने का मकान, सर्दियों और गर्मियों में पहनने के कपड़े, घर की ज़रूरत के सामान, सवारी या सवारी के जानवर, खिदमत के लिए लौंडी गुलाम, आलाते हर्ब यानि लड़ाई के लिए हथियार, पेशावरों के औज़ार, इल्म वालों के लिए ज़रूरत की किताबें, खाने के लिए अनाज।
- **माल-ए-नामी:** यानि बढ़ने वाला माल चाहे हक्कीकत में बढ़े या हुक्मन यानि अगर बढ़ाना चाहे तो बढ़ाए और वह माल उसके या उसके नाइब के क़ब्जे में हो। जैसे सोना, चाँदी, तिजारत का माल, वह मकान, ज़मीन या प्लाट व़ैरा जो किराये पर देने के लिये या फ़ायदा लेकर बेचने के लिये हो, चराई पर छूटे जानवर।
- सदक़ा-ए-फ़ित्र अदा करना शख्स पर वाजिब है उसके माल पर नहीं लिहाज़ा मर गया तो उसके माल से अदा नहीं किया जाएगा लेकिन अगर वारिस एहसान के तौर पर अपनी तरफ से अदा करें तो हो सकता है, उन पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर वसीयत कर गया है तो तिहाई माल से ज़रूर अदा किया जाएगा चाहे वारिस राजी न हों।
- नाबालिग या मजनून (पागल) अगर मालिक-ए-निसाब है तो उन पर सदक़ा-ए-फ़ित्र वाजिब है उनका वली उनके माल से अदा करे अगर वली ने अदा नहीं किया और नाबालिग बालिग हो गया या पागल का पागलपन जाता रहा तो अब यह खुद अदा कर दें और अगर यह खुद मालिक-ए-निसाब न थे और वली ने अदा न किया तो बालिग होने या होश में आने पर उनके ज़िम्मे अदा करना नहीं।

- सदक्का-ए-फ़ित्र अदा करने के लिए माल का बाकी रहना भी शर्त नहीं माल नहीं रहा जब भी सदक्का-ए-फ़ित्र वाजिब रहेगा साकित न होगा जबकि ज़कात व उश्र माल हलाक हो जाने से साकित हो जाते हैं।
- मर्द मालिक-ए-निसाब पर अपने और अपने छोटे बच्चों की तरफ से फ़ितरा अदा करना वाजिब है, जबकि बच्चा खुद मालिक-ए-निसाब न हो वरना उसका फ़ितरा उसी के माल से अदा किया जाए।
- मजनून औलाद चाहे बालिग हो लेकिन ग़ानी न हो तो उसका सदक्का-ए-फ़ित्र उसके बाप पर वाजिब है और ग़ानी हो तो खुद उसके माल से अदा किया जाए, जुनून चाहे असली हो यानि उसी हालत में बालिग हुआ या बाद को हुआ दोनों का एक हुक्म है।
- सदक्का-ए-फ़ित्र वाजिब होने के लिए रोज़ा रखना शर्त नहीं अगर किसी उज्ज़, सफ़र, मर्ज़ या बुढ़ापे की वजह से या मआज़ल्लाह बिला उज्ज़ रोज़ा न रखा जब भी वाजिब है।
- बाप न हो तो दादा बाप की जगह है यानि अपने ग़रीब व यतीम पोता-पोती की तरफ से उस पर सदक्का-ए-फ़ित्र देना वाजिब नहीं।
- माँ पर अपने छोटे बच्चों की तरफ से सदक्का-ए-फ़ित्र देना वाजिब नहीं।
- अपनी औरत और औलाद आक्रिल, बालिग का फ़ितरा उसके ज़िम्मे नहीं अगर्चे अपाहिज हों अगर्चे उसके खर्चे उसके ज़िम्मे हों।
- औरत या बालिग औलाद का फ़ितरा उनके बग़ैर इजाज़त अदा कर दिया तो अदा हो गया बशर्ते कि औलाद का खर्चा बग़ैर उसके ज़िम्मे हो वरना औलाद की तरफ से बिना इजाज़त अदा नहीं होगा।
- औरत ने अगर शौहर का फ़ितरा बग़ैर हुक्म अदा कर दिया अदा नहीं हुआ।
- माँ-बाप, दादा-दादी नाबालिग भाई और दूसरे रिश्तेदारों का फ़ितरा इसके ज़िम्मे नहीं और बग़ैर हुक्म अदा भी नहीं कर सकता।

सदक्का-ए-फ़ित्र कितना अदा करें?

- सदक्का-ए-फ़ित्र गेहूँ या उसका आटा या सत्तू आधा साअ और खजूर या मुनक्क़ा या जौ या उसका आटा या सत्तू एक साअ मुकर्रह है।
- आमतौर पर सदक्का-ए-फ़ित्र गेहूँ के वज्ञन के हिसाब से अदा किया जाता है जो 2 किलो 45 ग्राम गेहूँ या आटा या उसके बराबर रक्म है।

(नोट:- गेहूँ का वज्ञन उसकी क्वालिटी के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकता है लिहाज़ा सदक्का-ए-फ़ित्र की अदायगी के बक्त यह ख्याल रखना चाहिये कि थोड़ा ज्यादा हो जाये, पर कम न हो क्योंकि कम होने की सूरत में सदक्का-ए-फ़ित्र अदा ही नहीं होगा)

ज़रूरी मसाइल

- गेहूँ और जौ देने के बजाय उनका आटा देना अफ़ज़ल है और उससे भी अफ़ज़ल यह कि उसकी क़ीमत दे दें। क़ीमत अदा करने में इसका लिहाज़ रखें कि बेहतरीन क्रिस्म के गेहूँ व़ौरा की क़ीमत दें।
- इन चार चीज़ों के अलावा अगर दूसरी चीज़ों से फ़ितरा अदा करना चाहे मसलन चावल, ज्वार, बाजरा या और कोई ग़ल्ला या और कोई चीज़ देना चाहे तो क़ीमत का लिहाज़ करना होगा यानि वह चीज़ आधे साअ गेहूँ या एक साअ जौ की क़ीमत की हो यहाँ तक कि रोटी दें तो उसमें भी क़ीमत का लिहाज़ किया जाएगा अगर्चे गेहूँ या जौ की हो।
- फ़ितरे का वाजिब होने से पहले एडवांस में देना भी जाइज़ है जबकि वह शख्स मौजूद हो जिसकी तरफ़ से अदा किया जा रहा हो चाहे रमज़ान से पहले अदा कर दे और अगर फ़ितरा अदा करते वक्त मालिक-ए-निसाब न था फिर हो गया तो फ़ितरा सही है और बेहतर यह है कि ईद की सुबह सादिक्ह होने बाद और ईदगाह जाने से पहले अदा कर दे।
- एक शख्स का फ़ितरा एक मिस्कीन को देना बेहतर है और एक से ज्यादा मिस्कीनों को भी दे दिया जब भी जाइज़ है इसी तरह एक मिस्कीन को एक से ज्यादा लोगों का फ़ितरा देना भी जाइज़ है अगर्चे सब फ़ितरे मिले हुए हों।

- शौहर ने औरत को अपना फ़ितरा अदा करने का हुक्म दिया उसने शौहर के फ़ितरे के गेहूँ अपने फ़ितरे के गेहूँ में मिला कर फ़कीर को दे दिए और शौहर ने मिलाने का हुक्म न दिया था तो औरत का फ़ितरा अदा हो गया शौहर का नहीं मगर जबकि मिला देने पर उर्फ़ जारी हो यानि ऐसा होता रहता हो तो शौहर का भी अदा हो जाएगा।
- औरत ने शौहर को अपना फ़ितरा अदा करने की इजाजत दी, उसने औरत के गेहूँ अपने गेहूँ में मिलाकर सब की नीयत से फ़कीर को दे दिए जाइज है।
- अपने गुलाम की औरत को फ़ितरा दे सकते हैं चाहे उसका खर्चा उसी पर हो।

सदक्ता-ए-फ़ित्र किन लोगों को दिया जा सकता है किन को नहीं-
अल्लाह तआला फ़रमाता है:-

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسِكِينِ وَالْعِمَلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ

قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِيْنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ

فَرِيْضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

तर्जमा: अमवाल-ए-ज़कात सिर्फ़ फ़कीरों और मिस्कीनों के लिये हैं और जो उन्हें वुसूल करने पर मुकर्रर किये गये और जिन के दिलों को इस्लाम से मानूस करना मक्सूद हो और (गुलामी से) गर्दनें आजाद कराने में और क़र्जदारों के लिये और अल्लाह की राह में और मुसाफिरों के लिये मुकर्रर किये हुए (सदक्ता) हैं अल्लाह की तरफ़ से और अल्लाह बहुत जानने वाला बड़ी हिक्मत वाला है।

रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया कि-

- अल्लाह तआला ने सदक्रात को नबी या किसी और के हुक्म पर नहीं रखा बल्कि उसने खुद इसका हुक्म बयान फ़रमाया और इसके आठ हिस्से किये। (सुनने अबू दाऊद में ज्याद इब्ने हारिस सुदाई ﷺ से मरवी)
- सदक्रा-ए-मफ़रूज़ा (जो सदक्रा फ़र्ज़ हो जैसे ज़कात) में औलाद और वालिद का हक्क नहीं। (बैहकी ने हज़रत मौला अली ﷺ से रिवायत की)
- आले मुहम्मद ﷺ के लिए सदक्रा जाइज़ नहीं कि यह तो आदमियों के मैल हैं। (इमाम अहमद व मुस्लिम मुत्तलिब इब्ने रबीआ० ﷺ से रावी)
- हुज़ूर ﷺ ने फ़रमाया अल्लाह तआला ने मुझ पर और मेरे अहले बैत पर सदक्रा ह्राम फ़रमा दिया। (इब्ने सआद की रिवायत इमाम हसन मुजतबा ﷺ से)

इन लोगों को सदक्रे दिये जा सकते हैं-

फ़कीरः- फ़कीर वह शख्स है जिस के पास कुछ हो मगर इतना न हो कि निसाब को पहुँच जाए या निसाब के बराबर हो भी तो उसकी अस्ल हाजत पूरी करने के लायक हो जैसे रहने के लिये मकान, पहनने के कपड़े खिदमत के लिये लौंडी, गुलाम। इल्मी शुग़ल रखने वाले की दीनी किताबें जो उसकी हाजत से ज्यादा न हों। इसी तरह कर्जदार है और कर्ज निकालने के बाद निसाब बाक़ी न रहे तो फ़कीर है अगर्चे उसके पास इतना माल हो कि एक तो क्या कई निसाब हो जायें।

मिस्कीनः- मिस्कीन वह है जिसके पास कुछ न हो यहाँ तक कि खाने और बदन छिपाने के लिये इसका मोहताज है कि लोगों से सवाल करो।

आमिलः- आमिल वह है जिसके मालिक ने यह कह दिया हो कि रुपया दे दो तो तुम आज़ाद हो। तो उसे सदक्रे के रूपये इसलिये देना कि अपने आप को आज़ाद करा सके और गुलामी से अपनी गर्दन रिहा करो।

रिक्काबः- रिक्काब उस गुलाम को कहते हैं जिसे मालिक ने यह कह दिया हो कि रुपया दे दो तो तुम आज़ाद हो। तो उसे सदक्रे के रूपये इसलिये देना कि अपने आप को आज़ाद करा सके और गुलामी से अपनी गर्दन रिहा करो।

गारिम:- गारिम से मुराद क़र्जदार है यानि उस पर इतना क़र्जा हो कि उसे निकालने के बाद निसाब बाकी न रहे अगर्चे उसका औरें पर बाकी हो मगर लेने पर क़ादिर न हो मगर शर्त यह है कि क़र्जदार हाशिमी न हो।

फ़ीसबीलिल्लाह:- फ़ीसबीलिल्लाह यानि राहे खुदा में खर्च करना। जैसे जिहाद के लिये, इल्म-ए-दीन पढ़ने या पढ़ाने वाले के लिये या इसी तरह हर नेक बात में फ़ितरा या ज़कात खर्च करना फ़ीसबीलिल्लाह है जबकि ब-तौरे तमलीक हो कि बगैर तमलीक फ़ितरा या ज़कात अदा नहीं हो सकती।

इब्नुस्सबील:- वह मुसलमान मुसाफ़िर जिसके पास माल नहीं रहा फ़ितरा ज़कात ले सकता है अगर्चे इसके घर पर माल मौजूद हो मगर उतना ही ले जिससे हाजत पूरी हो जाये ज़्यादा की इजाजत नहीं, इसी तरह अगर मालिके निसाब ने अपना माल किसी को क़र्ज़ दे दिया और अभी वह क़र्ज़ वापस मिलने की कोई उम्मीद नहीं तो वह भी अस्ल हाजत के लिये फ़ितरा या ज़कात ले सकता है।

ज़रूरी मसाइल

- सदक़ा-ए-फ़ित्र ऊपर दिये गये लोगों को दिया जा सकता है सिवाय उन लोगों के जो ज़कात लेने के लिये मुक़र्रर किये जाते हैं जिन्हें आमिल कहते हैं। उनके लिए ज़कात है फ़ितरा नहीं।
- फ़क़ीर अगर आलिम हो तो उसे देना जाहिल को देने से अफ़ज़ल है। मगर आलिम को देने में अदब का लिहाज़ रखें, जैसे छोटे बड़े को नज़र देते हैं और मआज़ अल्लाह आलिम-ए-दीन की हिक्कारत (ज़िल्लत) अगर दिल में आई तो यह हलाकत और बर्बादी है।
- मिस्कीन यानि जिसके पास कुछ न हो यहाँ तक कि खाने और बदन छिपाने के लिये भी कुछ नहीं उसे सवाल (यानि मांगना) हलाल है फ़क़ीर को सवाल नाजाइज़ क्योंकि जिसके पास खाने और बदन छिपाने को हो उसे बगैर ज़रूरत व मजबूरी सवाल हराम है।

- बहुत से लोग फ़ितरा या ज़कात इस्लामी मदारिस को देते हैं उनको चाहिये कि मदरसे के मुतवल्ली को बता दें ताकि मुतवल्ली उस माल को अलग रखे और दूसरे माल में न मिलाये और सिर्फ़ ग़रीब तलबा पर खर्च करे किसी काम की मज़दूरी वग़ैरा में न दे वरना ज़कात अदा नहीं होगी।
- बहू और दामाद और सौतेली माँ या सौतेले बाप या बीवी की औलाद या शौहर की औलाद को दे सकते हैं और रिश्तेदारों में जिसका खर्च इसके ज़िम्मे वाजिब है उसे भी फ़ितरा व ज़कात दे सकते हैं जबकि खर्चों में शुमार न करे।
- सही तन्दरुस्त को दे सकते हैं अगर्चे कमाने पर कुदरत रखता हो मगर सवाल करना इसे जाइज़ नहीं।
- ग़नी मर्द के नाबालिग़ बच्चे को भी नहीं दे सकते और ग़नी की बालिग़ औलाद को दे सकते हैं जबकि फ़क़ीर हों।
- माँ हाशिमी बल्कि सैदानी हो और बाप हाशिमी न हो तो वह हाशिमी नहीं कि शरा में नस्ब बाप से है। लिहाज़ा ऐसे शख्स को दे सकते हैं अगर कोई दूसरी रुकावट न हो।
- जिन लोगों के बारे में बयान किया गया कि इन्हें फ़ितरा ज़कात दे सकते हैं उन सब का फ़क़ीर होना शर्त है।
- अगर बिना सोचे समझे दे दिया यानि यह ख्याल नहीं आया कि इसे दे सकते हैं या नहीं और बाद में मालूम हुआ कि इसे नहीं दे सकते थे तो अदा न हुई।

सदक़ा-ए-फ़ित्र व ज़कात वग़ैरा क़रीबी रिश्तेदारों को देना अफ़ज़ल

- सदक़ा-ए-फ़ित्र व ज़कात वग़ैरा सदक़ात में अफ़ज़ल यह है कि पहले अपने भाइयों बहनों को दें, फिर इनकी औलाद को, फिर चचा और फूफियों को, फिर इनकी औलाद को, फिर मामू और ख़ाला को, फिर

इनकी औलाद को, फिर रिश्ते वालों को, फिर पड़ोसियों को, फिर अपने पेशा वालों को, फिर अपने शहर या गाँव के रहने वालों को।

- हदीस में है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया- “ऐ उम्मत मुहम्मद! क्रसम है उसकी जिसने मुझे हक के साथ भेजा अल्लाह तआला उस शख्स के सदके को क्रबूल नहीं फ़रमाता जिसके रिश्तेदार उसके सुलूक करने के मोहताज हों और यह गैरों को दे। क्रसम है उसकी जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है अल्लाह तआला उसकी तरफ़ क्रयामत के दिन नज़रे रहमत नहीं फ़रमायेगा”।

इन लोगों को सदक़ा यानि फ़ितरा ज़कात वग़ैरा नहीं दे सकते

- बनी हाशिम जैसे सय्यद वग़ैरा को सदक़ात जैसे फ़ितरा व ज़कात वग़ैरा नहीं दे सकते न गैर उन्हें दे सकता है और न ही एक हाशिमी दूसरे हाशिमी को। बनी हाशिम से मुराद हज़रत अली करम अल्लाह वजहु व हज़रत जाफ़र व अक़्रील और हज़रत अब्बास رض व हारिस इब्ने अब्दुल मुत्तलिब की औलाद हैं।
- बनी हाशिम के आजाद किये हुए गुलामों को भी नहीं दे सकते तो जो गुलाम उनकी मिल्क में हैं उन्हें देना तो और भी ज़्यादा नाज़ाइज़ है।
- अपने माँ-बाप, दादा-दादी, नाना-नानी जिनकी औलाद में यह है उनको फ़ितरा व ज़कात नहीं दे सकते और इसी तरह अपनी औलाद जैसे बेटा-बेटी, पोता-पोती, नवासा-नवासी को भी नहीं दे सकते। सदक़ा-ए-नफ़ल दे सकते हैं बल्कि देना बेहतर है।
- माँ-बाप मोहताज हों और किसी बहाने से उन्हें देना चाहता है कि किसी फ़कीर को दे दे, फिर वह फ़कीर उन्हें दे यह मकरूह है। इसी तरह हीला कर के अपनी औलाद को देना भी मकरूह है।
- जो शख्स मालिके निसाब है उसके गुलाम को भी नहीं दे सकते चाहे गुलाम अपाहिज हो और उसका मालिक खाने को भी नहीं देता हो।
- बदमज़हब को सदक़ा-ए-फ़ित्र व ज़कात देना जाइज़ नहीं।

- जिसे सवाल जाइज़ नहीं उसके सवाल पर देना भी नाजाइज़। देने वाला भी गुनाहगार होगा।
- मुस्तहब यह है कि एक शख्स को इतना दें कि उस दिन उसे किसी और से सवाल की हाज़त न पड़े।

रोज़े के फ़ायदे

इस्लाम अमन और हिफाजत का मज़हब है। यह अपने मानने वालों को इबातदों में बेशुमार फैज़, बरकतें और हिक्मतें अता करता है। इस्लामी इबादतों में ज़हनी, जिस्मानी और रुहानी फ़ायदों के बेशुमार राज़ छिपे हैं। आज मार्डन साइंस की रिसर्च उन छिपे हुए राज़ और हिक्मतों को लोगों पर ज़ाहिर कर रही है और पुकार-पुकार कर कह रही है कि- ऐ मुसलमानों! तुम्हारे आँकड़ा मुहम्मदर्सूल्लाह ﷺ ने सदियों पहले जो अहकाम तुम्हें दिये और ज़िन्दगी गुज़ारने के जो अन्दाज़ तुम्हें सिखाये वह अपने आप में बिल्कुल मुकम्मल (Perfect) हैं इसमें किसी भी तरह की कमी-पेशी मुमकिन नहीं है। जो कोई भी इस तरीके पर ज़िन्दगी गुज़ारेगा उसके लिये आखिरत की नेअमतों के साथ दुनियावी नेअमतें भी बेशुमार हैं।

रोज़ा ज़रूरी है-

कुरआन पाक में झरशाद है कि-

“पस तुम में से जो शङ्ख स रमजान को पाये तो उसे चाहिये कि वह ज़रूर रोज़े रखे”

(सूरह अलबकराह, आयत- 180)

रोज़ा गुनाहों को जला देता है

हज़रत अनस ﷺ की एक रिवायत के मुताबिक़- ‘हुजूर ﷺ ने झरशाद फ़रमाया कि रमजान को रमजान इसलिये कहते हैं कि यह गुनाहों को जलाकर खत्म कर देता है।’

फुक्हा ने रोज़े में छिपी पाँच हिक्मतें बयान की हैं-

1. रोज़े से इन्सान तक़वा यानि परहेज़गारी हासिल करता है जो सब्र का मुक्काम है।
2. शुक्र का मुक्काम हासिल होता है क्योंकि रोज़ा रखना अपने रब की बेशुमार नेअमतों का शुक्र अदा करना भी है।
3. ईसार (यानि अपने फ़ायदे से ज्यादा दूसरे के फ़ायदे का ख्याल रखना) और कुरबानी का जज्बा हासिल होता है।

4. तज़किया-ए-नफ़्स यानि नफ़्स की पाकी और सफ़ाई हासिल होती है।
5. एक मुसलमान के लिये सबसे ज्यादा ज़रूरी और अहम अल्लाह की रज़ा हासिल होती है।

रोज़े के बारे में कुछ माहिरीन (Scholars) के क्रौल-

- जैसे-जैसे मैडिकल साइंस ने तरक्की हासिल की इससे यह हक्कीकत साफ़ ज़ाहिर होती गई कि रोज़ा तिब्ब यानि मेडिकल साइंस में एक मोजिज़ा यानि चमत्कार है।

(तुर्क स्कालर डाक्टर हलोक नूर बाकी)
- रोज़े से ख्यालात में बेचैनी नहीं रहती और जज्बात की तेज़ी खत्म हो जाती है, बुराइयाँ और बदियाँ दूर हो जाती हैं।

(डाक्टर माइकल)
- ज़हनी सुकून और दिली इत्मिनान हासिल करने के लिये रोज़ा बेहतरीन चीज़ है।

(डाक्टर समरसेट)
- भूखा रहने का बेहतरीन तरीका रोज़ा है। जिन्हें भूखा रहने की ज़रूरत हो वह इस्लामी तरीके से रोज़ा रखें, डाक्टर जिस तरह से भूखा रहने का तरीका बताते हैं वह बिल्कुल ग़लत है।

(डाक्टर ऐमरसन)

सेहत और तंदरुस्ती के लिये रोज़े के फ़ायदे:-

हमारे प्यारे नबी ﷺ का फ़रमान है कि-

“रोज़े रखो तंदरुस्त हो जाओगे”

आजकल की मेडिकल रिसर्च से भी यह बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि-

- रोज़ा हाज़मे के निजाम (Digestive System) को बेहतर बनाता है।
- दिमाग़ को ताक़त देता है। एक रिसर्च के मुताबिक़ रोज़े से Neurotrophic Factor का level बढ़ता है जिससे ज्यादा Brain cells पैदा होते हैं और दिमाग़ की सलाहियत बेहतर होती है।

- तनाव को कम करता है। रोज़े से Hormone Cortisol में कमी आने की वजह से तनाव कम होता है।
- बुरी आदतों जैसे तम्बाकू नोशी (Smoking) वगैरा से छुटकारा हासिल करने के लिये सबसे बेहतर वक्त रमजान का महीना है।
- जिस्म को बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ाने के लिये Immune System को बेहतर बनाता है।
- दौराने खून (Blood Circulaion) को बेहतर करता है।
- कौलेस्ट्रोल जो दिल की बीमारी और फ़ालिज की खास वजह है उसे ख़त्म कर देता है।
- Blood Sugar में कमी आती है। रोज़े में ज़रूरी Energy हासिल करने के लिये जिस्म में जमा ग्लूकोज़ टूटने लगता है जिससे Insulin बनने में कमी आ जाती है और Blood Sugar कम होता है।
- मोटापा कम होता है। ग्लूकोज़ Break down की वजह से जब सारा ग्लूकोज़ ख़त्म हो जाता है तो Ketosis का अमल यानि Fats का break Down शुरू हो जाता है और गुर्दे और माँसपेशियों पर इकट्ठी हुई चर्बी टूटने लगती है जिससे Energy हासिल होती है।
- रोज़े से दिल, दिमाग़, जिगर, मेदा, आँतें, और गुर्दे वगैरा को आगाम मिल जाता है जिससे इनके काम करने की सलाहियत बेहतर होती है।

आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मशहूर प्रोफ़ेसर मोर पाल्ड के मुताबिक़ वह मेदे के वरम में मुब्तिला थे और किसी इलाज से फ़ायदा नहीं हो रहा था लिहाज़ा उन्होंने रोज़े के फ़ायदों के बारे में सुनकर आज़माने के लिये इस्लामी तरीके पर रोज़े रखना शुरू कर दिये और कुछ ही दिनों में उनके वरम में कमी आने लगी और जिस्म पर और भी कुछ फ़ायदेमन्द असरात ज़ाहिर होने लगे। लिहाज़ा उन्होंने रोज़ों को जारी रखा और एक महीने में उनकी तकलीफ़ बिल्कुल दूर हो गई और जिस्म बिल्कुल Normal हो गया।

ज़रा सोचिए! हमारे लिये इससे बढ़कर बदक़िस्मती की बात क्या होगी कि हम सेहत व तन्द्रस्ती हासिल करने के लिये और बीमारियों के इलाज के लिये इधर-उधर भटक रहे हैं, दूसरों के दरो पर धक्के खा रहे हैं लेकिन अपने उस रब के अहकाम पर अमल करके दुनिया व आखिरत की भलाई हासिल नहीं कर रहे जो हमारा ख़ालिक (बनाने वाला) भी है और मालिक भी। अपने उस प्यारे नबी की प्यारी-प्यारी सुन्नतों पर अमल नहीं कर रहे जिसको अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा है जिसकी हर बात रहमत है, हर काम रहमत है, हर सुन्नत रहमत। दूसरे मज़हबों के लोग आप की तालीम से फ़ायदा उठा रहे हैं लेकिन हम महरूम हैं, यह बदक़िस्मती नहीं तो और क्या है?

शब-ए-क़द्र

अल्लाह तआला कुरआन पाक में इरशाद फरमाता है-

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝ لَيْلَةُ
الْقَدْرِ ۝ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝ تَنَزَّلُ الْمَلِئَكُهُ وَ الرُّوحُ فِيهَا
بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ ۝ سَلَامٌ شَهِيْدٌ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝

तर्जुमा: बेशक हमने इस (कुरआन) को शब-ए-कद्र में उतारा। और आप क्या समझे शब-ए-कद्र क्या है। शब-ए-कद्र हजार महीनों से बेहतर है। इसमें फ़रिश्ते और जिब्रील अपने परवरदिगार के हुक्म से हर काम के लिये उत्तरते हैं। वह (रात) सलामती है फ़त्र तलू होने तक।

शब-ए-क़द्र की फ़ज़ीलत

इस सूरह-ए-मुबारक में अल्लाह तआला ने शब-ए-कद्र की फ़ज़ीलत बयान फ़रमाई है कि यह ऐसी अज्ञमत और बुज़ुर्गी वाली रात है कि-

- इस रात में कुरआन पाक नाज़िल हुआ।
 - यह रात हज़ार महीनों से बेहतर है।
 - इस रात में जिब्रील ﷺ और फ़रिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं।
 - इस रात में सुबह होने तक बरकतें नाज़िल होती हैं और इसमें सलामती ही सलामती है।

हज़ूरे अकदस^{رَحْمَةُ اللّٰہِ عَلٰیہِ وَبَرَکَاتُهُ تَعَالٰی عَلٰیہِ} ने शब-ए-क़द्र की अहमियत बयान करते हुए फ़रमाया-

- माह-ए-रमजान में एक रात ऐसी है जो हजार महीनों से बेहतर है जो इस रात से महरूम रहा सारी ख़ैर से महरूम रहा।

(सूनन निसाई, मिश्कात)

- जब शब-ए-कद्र आती है तो जिब्रील ﷺ के झुरमुट में जमीन पर उतरते हैं और उस शख्स के लिये दुआ-ए-रहमत करते हैं जो खड़ा या बैठा अल्लाह की इबादत कर रहा हो। (मिशकात, शैअबुल ईमान लिल बैहकी)
- हज़रत जिब्रील ﷺ और फ़रिश्ते उस शब में इबादत करने वालों से मुसाफ़ा करते हैं और उनकी दुआओं पर आमीन कहते हैं, यहाँ तक कि सुबह हो जाती है। (फ़ज़ाइलुल औकात लिल बैहकी)

शब-ए-कद्र मिलने की वजह

- इमाम मालिक رضي الله عنه फ़रमाते हैं कि जब हुऱ्गू ﷺ ने पिछली उम्मतों की उम्रों पर तवज्जह फ़रमाई तो उनके मुकाबले में अपनी उम्मत की उम्रें बहुत कम पाईं, आप ﷺ ने ख्याल फ़रमाया कि जब पहली उम्मतों के मुकाबले इनकी उम्रें कम हैं तो नेकियाँ भी कम होगीं इस पर अल्लाह तआला ने आप को शब-ए-कद्र अता फ़रमाई जो हज़ार महीनों से बेहतर है। (मूरा इमाम मालिक رضي الله عنه)
- हज़रत मुजाहिद رضي الله عنه फ़रमाते हैं कि नबी-ए-करीम مُहम्मद ﷺ ने बनी इसराईल के एक नेक शख्स का ज़िक्र फ़रमाया जिसने राहे खुदा में जिहाद के लिये हज़ार महीनों तक हथियार उठाये रखे। सिहाबा-ए-किराम को इस पर ताज्जुब हुआ तो अल्लाह तआला ने यह सूरह नाजिल फ़रमाई और एक रात शब-ए-कद्र की इबादत को उस मुजाहिद के हज़ार महीनों की इबादत से बेहतर क़रार दिया। (सुनन अलकुब्रा बैहकी, तफ़सीर इब्ने हरीर)

इस रात को लैलतुल क़द्र क्यों कहते हैं?

इस पाक और बरकत वाली रात को लैलतुल क़द्र कहने की कुछ हिक्मतें हैं।

- क़द्र का एक मतलब है मर्तबा यानि इस रात की अज़मत, बुजुर्गी और आला मर्टबे की वजह से इसका नाम लैलतुल क़द्र पड़ा।

- इस रात में इबादत का मर्तबा बहुत आला है यानि एक रात की इबादत का सवाब हजार महीनों की इबादत से बेहतर है।
- इसमें अज्ञमत और बुलन्द मर्तबे वाली किताब नाज़िल हुई।
- इस किताब को लाने वाले जिब्रील भी बुलन्द मर्तबे वाले हैं।
- और यह बड़ी शान वाली किताब अल्लाह के महबूब और बहुत ही अज्ञमत और बुलन्द मर्तबे वाले अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद ﷺ पर नाज़िल हुई।

शब-ए-क़द्र कब होती है:-

इस बारे में आइम्मा-ए-दीन के अलग-अलग कौल हैं।

- इमाम-ए-आज़म अबू हनीफा رضي الله عنه के एक कौल के मुताबिक़ शब-ए-क़द्र पूरे साल में किसी रात को भी हो सकती है। सिहाबा-ए-किराम में से हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसउद رضي الله عنه का भी यही कौल है।
- इमाम-ए-आज़म अबू हनीफा رضي الله عنه के एक दूसरे कौल के मुताबिक़ शब-ए-क़द्र रमजान की सत्ताइसवीं (27) शब है।
- इमाम अबू यूसूफ رضي الله عنه और इमाम मुहम्मद رضي الله عنه के मुताबिक़ शब-ए-क़द्र रमजान की किसी भी मुतअय्यन की हुई रात में होती है।
- शाफ़ी उलमा के नज़दीक रमजान की इक्कीसवीं (21) शब को होना ज़्यादा मुमकिन है।
- इमाम मालिक رضي الله عنه और इमाम अहमद बिन हम्बल رضي الله عنه के मुताबिक़ यह रमजान के आखिरी अशरे की ताक़ (odd) रातों में होती है। किसी साल किसी रात में और किसी साल किसी दूसरी रात में।

शब-ए-कद्र रमजान के आखिरी अशरे की ताक़ रातों में होने के मुतालिक़ अहादीसः-

हुजूर ﷺ ने फ़रमाया कि-

- शब-ए-कद्र को रमजान के आखिरी अशरे की ताक़ रातों में ढूँढ़ो।
(बुखारी व मिश्कात में हजरत आयशा सिद्दीका रजिअल्लाह अन्हा से रिवायत)
- शब-ए-कद्र रमजान के आखिरी अशरे की ताक़ रातों यानि 21, 23, 25, 27, 29 वीं रात में है जो सवाब की नीयत से इस रात को इबादत करता है अल्लाह तआला उसके पिछले गुनाह माफ़ फ़रमा देता है। इसी रात की निशानियों में से यह है कि यह रात खिली हुई और चमकदार होती है, बिल्कुल साफ़ जैसे नूर की कसरत से चाँद खिला होता है। न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडी बल्कि नरम-गरम। इस रात में आसमान के सितारे शैतानों को नहीं मारे जाते। इसकी निशानियों में से यह भी है कि इस दिन सूरज बाहर शुआ के निकलता है, बिल्कुल एकसा टिकिया की तरह जैसा कि चौहदवीं का चाँद, क्योंकि शैतान के लिये रवा नहीं कि वह इस दिन सूरज के साथ निकले।

(मुसनद अहमद, मज्माउज्जवाइद)

इस्लामी भाइयों और बहनों ऊपर बयान किये गये फ़ज्जाइल से यह बात बिल्कुल साफ़ हो गई है कि इस रात बेशुमार बरकतें और रहमतें नाज़िल होती हैं। वैसे तो रमजान का पूरा महीना ही रहमतों और बरकतों वाला है और इस महीने में ज्यादा से इबादत करके अपने रब की रजा हासिल करने की कोशिश करनी चाहिये लेकिन इस ख़ास रात को तलाश करने के लिये आखिरी अशरे की रातों में ख़बू दिल लगाकर ज्यादा से ज्यादा इबादत करके रजा-ए-इलाही हासिल करें।

दुआ की गुज़ारिश

आप सभी हज़रात से अल-इहया के सभी अगकान के लिये और उन सभी लोगों के लिये खुसूसी दुआओं की गुज़ारिश करते हैं जिन्होंने इस किताब को आप तक पहुँचाने के लिये इसे तैयार करने में, इसकी इस्लाह और तसीह करने में, छपवाने में और तक्रसीम करवाने में हिस्सा लिया है।

हम भी उस पाक परवरदिगार की बारगाह में दुआ करते हैं कि वह हमारी इस छोटी सी कोशिश को कुबूल फ़रमाये और हम सभी को और इसके पढ़ने वालों पर अपनी खास नेअमर्तें नाज़िल फ़रमाये। आमीन!

रमज्जान की दुआएं

- ❖ रमज्जान का पहला अशरा रहमत का है इसमें यह दुआ पढ़ते रहें।

اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

- ❖ रमज्जान का दूसरा अशरा बिल्लिश का है इसमें यह दुआ पढ़ते रहें।

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا يَا رَبَّ الْعَلَمِينَ

- ❖ रमज्जान का तीसरा अशरा निजात का है इसमें यह दुआ पढ़ते रहें।

اللَّهُمَّ إِنَّا عَذَابَ النَّارِ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ

مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزِيْا غَفَارِه

- ❖ रोजे की नीयत फ़ज्ज से पहले करें तो -

نَوَيْتُ أَنْ أَصُومَ غَدَاءِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ فَرْضِ رَمَضَانَ هَذَا

- ❖ रोजे की नीयत फ़ज्ज के बाद करें तो -

نَوَيْتُ أَنْ أَصُومَ هَذَا الْيَوْمَ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ فَرْضِ رَمَضَانَ

- ❖ इफ्तार के वक्त की दुआ

اللَّهُمَّ لَكَ صُبْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ